मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016

भाग—एक

1 **प्रारम्भिकः—**

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (ग)(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा (I)3—3/85—पार्ट—II दिनांक 17.1.1989 के दृष्टिगत मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी बतौर मन्दिर अधिकारी माता श्री चिन्तपूर्णी में कार्यरत्त थे।

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पद	अवधि
1	श्री सुनील वर्मा	सहायक आयुक्त	1.1.2015 से 31.12.2016
2	श्री सुभाष चौहान	मन्दिर अधिकारी	1.1.2015 से 31.12.2016
3			

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	पैरा सं0	राशि (लाखों में)
1	राशि का दुरूपयोग करना	8	0.03
2	विदेशी मुद्रा का दुरूपयोग व मौके पर वसूली	9	—
3	सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों को समय से पूर्व परिपक्व करवाने के उपरान्त कम ब्याज दर पर पुनः निवेश करने के कारण हुई हानि	11	5.99
4	सापेक्ष जमा कार्य करवाने के लिए जमा की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	15	863.82
5	श्री भूपिन्दर सिंह विद्युतकार को वेतन एवं भत्ते के रूप में गलत एवं अधिक भुगतान करना	16 (ख)	0.41

6	श्री बिहारी लाल विद्युतकार को वेतन एवं भत्तों के रूप में गलत एवं अधिक भुगतान करना	16 (ग)	0.41
7	मन्दिर प्रबन्ध समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश के सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों अर्थात मन्दिर अधिकारी, सहायक मन्दिर अधिकारी को मानदेय के रूप में अनियमित भुगतान करना	17	2.96
8	पुजारी शेयर का अधिक भुगतान	18	82.09
9	पुजारी शेयर की न मांगी गई राशि को सावधि के स्थान पर चालू खाते में रखना	19	17.27
10	निर्माण कार्य के लिए संविदाकार को अधिक भुगतान करना	22	0.12
11	निर्माण कार्य बिलों से बिक्री कर की कटौती कम करना	24	0.04
12	पंचायत को दिए गये अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	25	36.40
13	दवाईयों को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करना	26	6.93
14	सुलभ International को किये गये भुगतान बारे	27	6.75

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत अनुच्छेदों के निपटारे हेतु कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई। अतः लम्बित अनुच्छेदों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "A"** पर दिया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

मन्दिर प्रबन्धत समिति माता श्री चिन्तपूर्णी जिला ऊना के अवधि 1.1.2015 से 31.12. 2016 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी, श्री जीवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक तथा श्री सुशील कुमार आर्टिकल सहायक द्वारा दिनॉक 17.4.2017 से 1.7.2017 के दौरान चिन्तपूर्णी में किया गया। आय की

विस्तृत जॉच हेतु माह 8/2015, 8/2016 तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु माह 8/2015, 8/2016 के लेखाओं का चयन किया गया।

"The audit report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the controlling officer of the Temple. The office of Local Audit Department disclaims any responsibility for any misinformation and or non information on the part of auditee."

3 अंकेक्षण शुल्कः–

मन्दिर प्रबन्ध समिति माता श्री चिन्तपूर्णी के अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹177400 आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 154/2017 दिनांक 1.7.2017 द्वारा मन्दिर अधिकारी माता श्री चिन्तपूर्णी से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा प्रस्तुत मन्दिर न्यास के अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "I"** पर भी दिया गया है।

Year	**2015**	**2016**
Opening Balance	854903366.74	978318056.12
Offering to deity cash	248676216.95	252346508.53
Interest Received & Accrued on deposits	57379092.00	65256162.00
Grant-in-aid from Govt. if any	0	0
Other Income	17672710.95	16158127.77
Grand Total	1178631386.64	1312078854.42
Expenditure during the year	200313330.52	340550416.20
Closing Balance	978318056.12	971528438.22

(ख) अन्तशेष का विवरणः–

दिनांक 31.12.2016 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष के रूप में ₹971528438.22 था तथा बैंक/डाकघर के बचत खातों में जमा राशि, सावधि जमा योजना के अन्तर्गत बैंकों में जमा राशि तथा हस्तगत राशि के रूप में अन्तशेष ₹974385901.10 थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(i)	बैंक/डाकघर बचत खाते में जमा राशि **परिशिष्ट "I-B"**		58595972.10
(ii)	सावधि जमा खाते में निवेश **परिशिष्ट "I-C"**		915180076.00
(iii)	हस्तगत राशि **परिशिष्ट "I-D"**		609853.00
		योग	**974385901.10**

(ग) बैंक समाधान विवरणीः—

उक्त विवरणानुसार दिनांक 31.12.2016 को रोकड़ बही तथा बैंकों के अन्तशेष में 974385901.10—971528438.22=₹2857462.88 का अन्तर पाया गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट "I-B"** में संलग्न बैंक समाधान विवरणी में दिया गया है।

(घ) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि डाकघर के बचत खाता संख्या 276613 में मास 5/2006 से ₹37547.05 जमा थी परन्तु उक्त खाते पर ब्याज नहीं लगाया गया है। अतः ब्याज का मामला डाकघर से उठाया जाए तथा ब्याज के रूप में प्राप्त राशि को रोकड़ वही में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए।

(ङ) मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा निम्नानुसार चैक भुगतान करने के लिए जारी किये गये परन्तु इन चैकों को बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि बैंक नियमों के अनुसार चैक का वैधता अवधि तीन मास है। अतः इन चैकों को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज करते हुए समायोजन करना सुनिश्चित किया जाए।

दिनाँक	**चैक संख्या**	**राशि**
23.09.14	597989	4000
13.10.14	598054	4000
09.01.15	598275	1534
12.01.15	302775	4000
01.03.15	598372	4000
23.05.15	711584	5000
06.07.15	711497	5000
10.07.15	711514	15868
01.08.15	711543	5000
11.08.15	734476	5156
01.09.15	437726	4000
02.09.15	437734	6833
03.09.15	551081	4000
03.09.15	551085	4000
03.09.15	551087	4000
04.09.15	229505	5000

08.09.15	00052	4000
15.09.15	711459	4000
18.09.15	711470	4000
19.09.15	711276	4000
09.10.15	589059	5000
13.10.15	272674	3000
13.10.15	272675	7800
22.10.15	711335	4000
24.12.15	711230	5000
05.01.16	711260	5000
19.01.16	710686	11415
19.01.16	710695	4000
19.01.16	710697	4000
20.02.16	711073	4000
23.02.16	711074	5000
23.02.16	711075	5000
29.02.16	711088	5100
02.03.16	711092	3500
17.03.16	711146	12440
09.04.16	710929	2600
01.05.16	711001	8000
05.05.16	711057	5000
26.05.15	710815	2951
07.06.16	710859	11000
23.06.16	487602	191305
23.06.16	487607	5421
16.7.16	27690	5000
7.8.16	912388	52500
24.8.16	912510	50000
1.9.16	912599	4000
1.9.16	912602	4000
15.9.16	487616	4000
15.9.16	912608	4000
15.9.16	912630	4000

5 सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों के बारे में:–

मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा दिनांक 31.12.2016 तक ₹915180076 विभिन्न बैंकों में सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित की गई थी जिसका विवरण **परिशिष्ट "I" (C)** में दिया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि इन सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों

को परिपक्वता तिथि पर भुनाया जाना अथवा पुनः निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 **गत तीन वर्षों में प्राप्त आय तथा आय की अनुपातिका के अनुसार कर्मचारियों के वेतन, भत्तों तथा अन्य मदों पर किए गए व्यय के सन्दर्भ में:—**

(क) मन्दिर प्रबन्धन समिति माता चिन्तपूर्णी द्वारा गत तीन वर्षों में निम्न प्रकार से आय अर्जित की गई।

क्र0सं0	वर्ष	आय (चढ़ावा)
1	2014	237253313
2	2015	248676216
3	2016	252346508

(ख) मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा दर्शाए गए विवरणानुसार कर्मचारियों के वेतन, भत्तों तथा अन्य मदों पर आय की अनुपातिका के अनुसार किया गया व्यय निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "II"** पर भी दिया गया है, जिनसे यह प्रतीत होता है कि आय की अनुपातिका के अनुसार इन मदों पर लगभग 13.73 से 16 तक प्रतिवर्ष व्यय किया गया है।

क्र0सं0	वर्ष	आय (ब्याज सहित)	कर्मचारियो ंके वेतन भत्तों तथा अन्य सम्बन्धित मदो ंपर भुगतान राशि	प्रतिशतता
1	2015	323728019	44472956	13.73
2	2016	333760798	53750856	16

7 **सोना तथा चान्दी का विवरण:—**

(क) सोना:— मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा प्रस्तुत माता श्री चिन्तपूर्णी का अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 के दौरान सोने का विवरण निम्न प्रकार से है:—

1.1.2015 से 31.12.2015

	क्विंटल	कि0ग्रा0	ग्रा0	मि0ग्रा0
गत शेष	01	74	101	277
प्राप्ति	—	05	900	640
कुल योग	01	80	001	917

1.1.2016 से 31.12.2016

	क्विंटल	कि0ग्रा0	ग्रा0	मि0ग्रा0
गत शेष	01	80	001	917
प्राप्ति	—	4	539	006
कुल योग	01	84	540	923

दिनांक 31.12.2016 को सोने के अन्तिम शेष का विवरण

	क्विंटल	कि0ग्रा0	ग्रा0	मि0ग्रा0
राजकीय उपकोष अम्ब में जमा	01	81	244	923
माता के श्रृंगार हेतु प्रयुक्त सोना	00	03	296	000
कुल योग	01	84	540	923

(ख) सोने की 21 ग्राम मात्रा कम दर्ज करने बारेः–

(i) मन्दिर प्रबन्ध समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त सोने की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दैनिक चढ़ावा रजिस्टर में 3 ग्राम 500 मिलीग्राम सोने की मात्रा कम दर्ज की गई है।

क्र0सं0	दिनांक	रसीद सं0	रसीदों में दर्ज मात्रा		चढ़ावा रजिस्टर में दर्ज मात्रा		कम दर्ज मात्रा	
			ग्राम	मिलीग्राम	ग्राम	मिलीग्राम	ग्राम	मिलीग्राम
1	9.9.2016	4759/98	008	—	005	000	003	—
2	30.8.2015	4672/81	007	500	007	000	000	500
		योग	015	500	012	000	003	500

(ii) मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी में निम्नानुसार दैनिक चढ़ावा रजिस्टर में दर्ज सोने की मात्रा में से 17 ग्राम मात्रा सम्बन्धित सोना स्टॉक रजिस्टर में कम दर्ज की गई है।

दिनांक	दैनिक चढ़ावा रजिस्टर पृ0सं0	चढावा रजिस्टर में दर्ज सोने की मात्रा		स्टॉक रजिस्टर में दर्ज सोने की मात्रा		कम दर्ज की गई मात्रा	
		ग्राम	मिलीग्राम	ग्राम	मिलीग्राम	ग्राम	मिलीग्राम
2.11.15	16677	024	—	019	—	005	—
1.8.16	16957	012	—	000	—	012	—
		036	—	019	—	017	—

(iii) मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा माह जुलाई 2016 में पृष्ठ संख्या 055 पर दर्ज किए गए सोने की वास्तविक मात्रा के योग में निम्नानुसार 500 मिली ग्राम कम मात्रा दर्शाई गई है।

माह	**वास्तविक मात्रा का योग**		**दर्शाई गई मात्रा का योग**		**कम दर्शाई गई मात्रा**	
	ग्राम	**मिलीग्राम**	**ग्राम**	**मिलीग्राम**	**ग्राम**	**मिलीग्राम**
7/2016	630	833	630	333	000	500

उपरोक्त क्रम संख्याः (i), (ii) व (iii) पर उल्लेखित 21 ग्राम कम दर्ज की गई सोने की मात्रा के बारे में अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 121/2017 दिनांक 5.6.2017 के द्वारा मामला मन्दिर अधिकारी के ध्यान में ला दिया गया है। अतः संस्था स्तर पर विस्तृत जाँच करके वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई भी अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) चांदीः— मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा प्रस्तुत माता श्री चिन्तपूर्णी का अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 के दौरान चांदी का विवरण निम्न प्रकार से है**:—**

1.1.2015 से 31.12.2015

	क्विंटल	**कि0ग्रा0**	**ग्रा0**	**मि0ग्रा0**
गत शेष	59	74	101	068
प्राप्ति	01	91	190	300
कुल योग	61	65	291	368

1.1.2016 से 31.12.2016

	क्विंटल	**कि0ग्रा0**	**ग्रा0**	**मि0ग्रा0**
गत शेष	61	65	291	368
प्राप्ति	02	30	763	030
कुल योग	63	96	054	398

दिनांक 31.12.2016 को चांदी का अन्तिम शेष का विवरण

	क्विंटल	**कि0ग्रा0**	**ग्रा0**	**मि0ग्रा0**
राजकीय उपकोष अम्ब में जमा	63	03	608	398
माता के श्रृंगार हेतु प्रयुक्त चाँदी	00	51	529	000

वर्ष 2006 तक प्राप्त चाँदी को पिघलाने के उपरान्त प्राप्त व्यर्थ पदार्थ जोकि राजकीय उपकोष अम्ब में जमा	00	40	917	000
कुल योग	**63**	**96**	**054**	**398**

(घ) चाँदी की 525 ग्राम मात्रा कम दर्ज करने बारेः–

मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त चाँदी की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार 525 ग्राम चाँदी की मात्रा कम दर्ज की गई है।

दिनांक	**दैनिक चढ़ावा रजिस्टर पृ0सं0**	**चढावा रजिस्टर में दर्ज चाँदी की मात्रा**		**स्टॉक रजिस्टर में दर्ज चाँदी की मात्रा**		**कम दर्ज की गई मात्रा**	
		ग्राम	**मिलीग्राम**	**ग्राम**	**मिलीग्राम**	**ग्राम**	**मिलीग्राम**
26.3.16	16828	430	–	230	–	200	–
16.4.16	16850	495	–	475	–	020	–
18.10.16	17041	305	–	000	–	305	–
					योग	**525**	

उपरोक्त उल्लेखित 525 ग्राम कम दर्ज की गई चाँदी के मात्रा के बारे में अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 121/2017 दिनांक 5.6.2017 द्वारा मामला मन्दिर अधिकारी के ध्यान में लाया दिया गया है जिसकी संस्था स्तर पर विस्तृत जाँच करके वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ङ) सोना चाँदी स्टॉक रजिस्टर में पृष्ठ संख्या 1 से 14 मौजूद न होनाः–

सोना चाँदी स्टॉक रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि सोना चाँदी स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 1 से 14 मौजूद नहीं है। यद्यपि पृष्ठ संख्या 17 पर मन्दिर अधिकारी द्वारा "प्रमाणित किया गया है कि इस रजिस्टर के 15 से लेकर 200 पृष्ठ तक अंकित है" का प्रमाण पत्र दिया गया है। लेकिन उक्त रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 1 से 14 तक न तो मन्दिर अधिकारी द्वारा पृष्ठों को रद्द किया गया है व न ही उक्त पृष्ठ सोना चाँदी स्टॉक रजिस्टर में मौजूद है। अतः चाँदी स्टॉक रजिस्टर में पृष्ठ संख्या 1 से 14 तक मौजूद न होने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व यह भी स्पष्ट किया जाए कि उकत पृष्ठों को किस उद्देश्य हेतु सोना चाँदी स्टॉक रजिस्टर से अलग किया गया। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 ₹0.03 लाख का दुरूपयोगः–

जाँच के दौरान पाया गया कि रसीद संख्या 399/75 दिनांक 14.8.2016 के द्वारा विकास कार्य हेतु ₹3100 की दान स्वरूप आय प्राप्त की गई। लेकिन उक्त प्राप्त की गई राशि को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज नहीं किया गया व न ही बैंक में जमा करवाया गया। फलस्वरूप उक्त राशि का दुरूपयोग किया गया। अतः उक्त दानस्वरूप प्राप्त की गई ₹3100 को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज न करने व बैंक में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अविलम्ब उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 विदेशी मुद्रा का दुरूपयोग व मौके पर वसूली बारेः–

आय की जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 2015 व 2016 के दौरान विदेशी मुद्रा रजिस्टर में दर्ज विदेशी मुद्रा से कम विदेशी मुद्रा को बैंक में जमा करवाना गणना में त्रुटि होना व विदेशी मुद्रा के अन्तिम शेष को आरम्भिक शेष में न उठाने के कारण विदेशी मुद्रा का दुरूपयोग किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

(i) विदेशी मुद्रा रजिस्टर में दर्ज विदेशी मुद्रा से कम विदेशी मुद्रा बैंक में जमा करवानाः–

क्र0सं0	रजिस्टर पृ0सं0	अवधि	प्राप्त विदेशी मुद्रा	विदेशी मुद्रा का प्रकार	जमा करवाने की तिथि	जमा करवाई गई विदेशी मुद्रा	कम जमा करवाई गई विदेशी मुद्रा
1	87	17.2.16 से 9.3.16	665	यू0ए0ई0 धिराम	18.3.16	655	10
2	163	11.3.16 से 25.3.16	512	अमेरिकन डॉलर	28.3.16	471	41
3	46	19.2.16 से 10.3.16	2665	आस्ट्रेलियन डॉलर	18.3.16	2595	70
4	67	13.3.16 से 24.3.16	120	यूरो	28.3.16	100	20
5	29	3.9.16 से 12.10.16	715	कनाडा डॉलर	13.10.16	690	25
6	395	1.4.16 से 19.4.16	12.50	कुवैत दिनार	25.4.16	11.75	0.75
7	121	2.2.16 से 16.2.16	235	इंग्लैंड पाऊंड	23.2.16	225	10

(ii) विदेशी मुद्रा रजिस्टर में दर्ज विदेशी मुद्रा को बैंक में जमा न करवाना व न ही आगामी शेष में दर्शानाः—

क्र0सं0	विदेशी मुद्रा रजिस्टर पेज सं0	अवधि	मुद्रा का प्रकार	बैंक में जमा न करवाई गई विदेशी मुद्रा
1	219	4.4.16 से 18.5.16	कत्तर रियाल	141
2	251	23.4.2016	सिंगापुर डॉलर	10
3	395	25.4.2016	कुवैत दिनार	4½
4	187	2.9.16 से 16.9.16	सऊदी अरब रियाल	138

(iii) गणना में त्रुटि होनाः—

क्र0सं0	रजिस्टर पृ0सं0	अवधि	विदेशी मुद्रा का प्रकार	वास्तविक योग	दर्शाया गया योग	कम दर्शाया गया योग
1	168	30.8.16 से 11.10.16	अमेरकिन डॉलर	1077	1075	2

(iv) विदेशी मुद्रा के अन्तिम शेष को आरम्भिक शेष में न उठानाः—

क्र0सं0	रजिस्टर पृ0सं0	दिनांक	विदेशी मुद्रा का प्रकार	अन्तिम शेष को आरम्भिक शेष में न उठाई गई मात्रा
1	47	26.6.16	आस्ट्रेलियन डॉलर	5

उपरोक्त क्रम संख्या (i) से (iv) पर उल्लेखित दुरूपयोग की गई विदेशी मुद्रा के प्रकरण को अंकेक्षण के दौरान ही अंकेक्षण अधियाचना 107/17 दिनांक 19.5.2017 को मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया। जिस पर मन्दिर अधिकारी द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त विदेशी मुद्रा की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी/उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त दिनांक 23.5.2017 को बैंक में जमा करवा दी गई है व विदेशी मुद्रा को बैंक में जमा करवाने की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान ही कर ली गई है। भविष्य में उक्त प्रकार की अनियमितता को न दोहराने हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

10 दिनांक 31.12.2016 तक सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित ₹9151.80 लाख का रोकड़ बही में लेखांकन न करनाः—

जाँच के दौरान पाया गया कि मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा **परिशिष्ट—1 (C)** पर संलग्न विवरणानुसार दिनांक 31.12.2016 तक विभिन्न बैंकों में सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत ₹915180076 को निवेशित किया गया है लेकिन उक्त सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों को रोकड़ बही के अन्तिम शेषों में सम्मिलित नहीं किया

गया था। सावधिक निवेश के अर्न्तगत निवेशित राशियों का रोकड़ बही में लेखांकन न करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः दिनांक 31.12.2016 तक मन्दिर प्रबन्धक समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों को रोकड़ बही के अन्तिम शेषों में न दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अविलम्ब सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों को रोकड़ बही में लेखांकन करके अन्तिम शेषों में सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों को समय से पूर्व परिपक्व करवाने उपरान्त कम ब्याज दर पर पुनः निवेशित करने उपरान्त ₹5.99 लाख की हानिः–

सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दिनांक 29.11.14 को सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों को समय से पूर्व परिपक्व करवाकर उसी तिथि को कम ब्याज दर पर पुनः निवेशित करने के कारण मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी को ब्याज के रूप में ₹599489 की हानि हुई है जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र0सं0	एफ0डी0सं0	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि (₹)	ब्याज दर	परिपक्वता करवाने की तिथि	प्राप्त की गई राशि (₹)
1	30798181162	29.11.14	7890729	25.8.17	10003717	8.75%	18.2.16	8771229
2	30798781763	29.11.14	9930787	25.8.17	12590064	8.75%	18.2.16	11038930
3	30798780599	29.11.14	9367313	25.8.17	11875702	8.75%	18.2.16	10412580
4	30798204812	29.11.14	4535047	25.8.17	5749447	8.75%	18.2.16	5041098
			31723876		40218930			35263837

पुनः निवेशित राशि का विवरणः–

क्र0सं0	एफ0डी0सं0	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	ब्याज दर	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि (₹)
1	3558137953	18.2.16	35263837	7.50%	18.2.18	40913868

उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 4 पर उल्लेखित सावधिक निवेश के अन्तर्गत दिनांक 29.11.2014 को 8.75% ब्याज दर पर निवेशित राशियों ₹31723876 को समय से पूर्व दिनांक 18.2.2016 को परिपक्व करवा कर उसी तिथि को 7.50% ब्याज दर पर पुनः निवेशित करवाने के कारण दिनांक 18.2.2016 से 25.8.2017 तक 1.25% (8.75–7.50) कम ब्याज दर के कारण ₹599489 (32323365–31723876) की ब्याज स्वरूप हानि हुई है। उक्त ब्याज स्वरूप हुई हानि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 102 दिनांक 2.6.2017 को अंकेक्षण के दौरान ही मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः

उपरोक्त उल्लेखित सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों को समय से पूर्व परिपक्व करवाने व उसी तिथि को कम ब्याज पर पुनः सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त ब्याज स्वरूप हुई हानि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित किया जाये।

12 ब्याज स्वरूप हुई हानिः—

जाँच के दौरान पाया गया कि सावधिक निवेश रजिस्टर पेज संख्या 85 पर एफ0डी0 संख्या 434281 बैंक ऑफ बड़ौदा, ऊना दिनांक 5.2.15 को ₹5351920 को एक वर्षीय अवधि हेतु 8.75% ब्याज दर पर निवेशित की गई जिसकी परिपक्वता तिथि 5.2.2016 व परिपक्वता ₹5835804 प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। लेकिन उक्त सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि को दिनांक 26.2.2016 को परिपक्व करवाया गया। जिसमें ₹432203 का सावधिक ब्याज व ₹73664 की स्त्रोत पर कर की कटौती सावधिक निवेश परिस्टर पेज संख्या 85 पर प्रविष्टियाँ दर्ज की गई जबकि वास्तव में उक्त सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि पर दिनांक 5.2.16 तक ₹483884 (5835804—5351920) का सावधिक ब्याज व दिनांक 5.2.16 से 26.2.16 तक 21 दिनों का अतिरिक्त ब्याज प्राप्त करने उपरान्त ही उक्त निवेशित राशि की परिपक्वता राशि प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। फलस्वरूप प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी को दिनांक 5.2.16 तक ₹51681 (483884—432203) का सावधिक ब्याज व दिनांक 5.2.2016 से 26.2.2016 तक 21 दिनों का अतिरिक्त ब्याज की हानि हुई है। उक्त ब्याज स्वरूप हुई हानि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 103 दिनांक 2.6.2017 को मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः उक्त सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि पर वसूली योग्य ब्याज से कम ब्याज प्राप्त करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त ब्याज की वसूली सम्बन्धित बैंक से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13 सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि पर आयकर की ₹4.27 लाख की कटौती करने बारेः—

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 तक सावधिक निवेश के अन्तर्गत राशियों को विभिन्न बैंकों में निवेशित किया गया था। परन्तु निम्न विवरणानुसार बैंकों द्वारा विभिन्न सावधि योजना में जमा राशियों की परिपक्वता पर प्राप्त होने वाले ब्याज पर आयकर की कटौती करने के उपरान्त शेष राशि को पुनः निवेशित किया गया। इस सन्दर्भ में चर्चा के दौरान अंकेक्षण को यह भी बताया गया कि मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी को नियमानुसार आयकर विभाग से कर की छूट

भी मिली है। अतः बैंकों द्वारा अनियमित रूप से काटे गए आयकर की ₹426931 के मामले को सम्बन्धित बैंकों से उठाया जाए तथा उक्त राशि के बैंकों से प्राप्त करके इसे मन्दिर कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	सावधि जमा सं0	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	ब्याज दर	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता योग्य राशि	पुनः निवेश/ परिपक्वता राशि	अन्तर	बैंक का नाम
1	34581203110	26.5.15	12821281	8%	26.5.16	13878167	13861537	16630	एस0बी0आई0 चिन्तपूर्णी
2	65240849295	4.9.15	2000000	8.37%	4.9.16	2172728	2165240	7488	एस0बी0आई0 चिन्तपूर्णी
3	31953041534	11.9.15	4790890	7.50%	11.9.16	5160439	5143746	16693	एस0बी0आई0 चिन्तपूर्णी
4	31473657604	15.10.13	6653243	9%	23.4.15	7618494	7610289	8205	एस0बी0आई0 चिन्तपूर्णी
5	31473657604	23.4.15	7610289	8.5%	29.10.16	8645696	8604769	40927	एस0बी0आई0 चिन्तपूर्णी
6	65193167556	30.3.14	2000000	9.25%	6.10.15	2297534	2277900	19634	एस0बी0पी0 अम्ब
7	434405	13.9.14	3032405	9.05%	13.9.15	3316292	3290200	26092	बैंक ऑफ बड़ौदा
8	6519062248	7.3.14	2500000	9.25%	13.9.15	2871918	2847234	24684	एस0बी0पी0 अम्ब
9	33752001924	4.10.15	17894913	7%	4.10.16	19180824	19114362	66462	एस0बी0आई0 चिन्तपूर्णी
10	434282	5.2.15	4682930	8.75%	26.2.16	5176877	5092690	84187	बैंक ऑफ बड़ौदा
11	434405	13.9.15	3290200	8%	26.2.16	3377969	3362016	17953	बैंक ऑफ बड़ौदा
12	434661	7.3.15	2735382	8.75%	26.2.16	2932455	2908143	24312	बैंक ऑफ बड़ौदा
13	434281	5.2.15	5321920	8.75%	5.2.16	5754123	5680459	73664	बैंक ऑफ बड़ौदा
							कुल योग	**426931**	

14 रद्द किए गए चैकों को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज न करनाः—

(क) व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि वाउचर संख्या 1619 दिनांक 24.10.2016 के अन्तर्गत श्री ज्ञान चन्द सुपुत्र श्री महन्त राम गाँव व डा0 कलरूही को उनकी बिमारी के ईलाज हेतु ₹75000 के अग्रिम का भुगतान निम्न शर्तों पर किया गया दर्शाया है।

(i) Fund Should be realized directly to IGMC.

(ii) Undertaking is taken from applicant to submit original bills post treatment.

उक्त व्यय के एवज में चैक संख्या 972732 दिनांक 24.10.2016 को IGMC Shimla के नाम जारी किया गया। उक्त वास्तविक बिलों (IGMC) को आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध करवाने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 118/2017 दिनांक 3.6.2017 द्वारा मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार उक्त चैक को वास्तव में सम्बन्धित संस्थान को नहीं भेजा गया व दिनांक 31.12.2016 को चैक समाधान विवरणी में भुगतान हेतु न प्रस्तुत किए गए चैकों की श्रेणी में दर्शाया गया। दिनांक 14.6.2017 को रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 140 में उक्त चैक को रद्द करके ₹75000 आय पक्ष में दर्ज कर ली गई है व राशि दर्ज करने की प्रविष्टि की जाँच अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है।

(ख) व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि वाउचर संख्या 1409/2016 दिनांक 1.10.2016, चैक संख्या 972642 ₹11000 व वाउचर संख्या 1450/16 दिनांक 7.10.2016 को चैक संख्या 972678 दिनांक 7.10.2016 ₹11000 के अन्तर्गत श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री सुभाष चन्द को रोकड़ बही के व्यय पक्ष में दोबार भुगतान किया गया। लेकिन चैक संख्या 972642 रद्द कर दिया गया परन्तु उक्त चैक को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज नहीं किया गया व दिनांक 31.12.2016 को बैंक समाधान विवरणी के भुगतान हेतु प्रस्तुत न किए गए चैकों की श्रेणी में दर्शाया गया। अंकेक्षण द्वारा उठाई गई आपत्ति उपरान्त उक्त चैक को दिनांक 14.6.2017 को रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 140 पर आय पक्ष में ₹11000 दर्ज कर ली गई है व उक्त चैक को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज करने की प्रविष्टि की जाँच अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है।

15 सापेक्ष जमा कार्य करवाने के लिए भुगतान ₹863.82 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करनाः—

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नानुसार ₹86381800 विभिन्न विभागों को सापेक्ष जमा कार्य करवाने के लिए भुगतान की गई परन्तु भुगतान की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गये जिसके बारे में अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 92/2017 दिनांक 5.5.2017 के द्वारा मामला मन्दिर अधिकारी के ध्यान में भी लाया गया। अतः सम्बन्धित विभागों से वास्तविक व्यय एवं इस व्यय की पुष्टि हेतु कि यह राशि जिस कार्य हेतु स्वीकृत की गई है, उसी कार्य पर खर्च की गई है, इससे सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने अपेक्षित थे, जबकि मन्दिर न्यास द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए है। अतः उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएं ताकि स्वीकृत अनुदान से किए गए

वास्तविक व्यय की जाँच सम्भव हो सके व यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुदान राशि उसी कार्य पर खर्च हुई है, जिस कार्य हेतु प्रदान की गई थी।

Vr. No.	Month/Date	To whom paid	Purpose	Amount
1567	7-1-015	XEN PWD Bharwain	C/O Gate at Bharwain	700000
257	23-5-2015	XEN PWD Bharwain	C/O Gate at Bharwain	768000
1925	26-11-2016	XEN PWD Bharwain	Road repair Bhaewain to Chintpurni	3868200
1635	25-10-2016	XEN PWD Bharwain	Road repair Bhaewain to Chintpurni	190600
453	7-6-2016	BDO Gagret	C/O Gaushala	1000000
508	17-6-2016	BDO Bangana	C/O Gaushala	1000000
509	17-6-2016	BDO Una	C/O Gaushala	1000000
510	17-6-2016	BDO Amb	C/O Gaushala	1000000
512	18-6-2016	BDO Gagret	C/O Gaushala	1000000
1496	15-10-2016	DPO Una	C/O Gaushala	1000000
1633	25-10-2016	DPO Una	C/O Gaushala	17855000
354	17-6-2015	XEN IPH Una	Sewerage Scheme	25000000
1968	31-3-2016	-do-	-do-	25000000
1845	4-3-2016	XEN IPH	Fire Hydrants	2000000
1969	31-3-2016	XEN IPH	-do-	5000000
			Total	**86381800**

16 स्थापनाः—

(क) मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत पदों तथा कार्यरत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के बारे में मन्दिर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट (iii)** पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारी के आदेशों की प्रति जिसके माध्यम से कार्यरत्त कर्मचारियों की संख्या स्वीकृत है अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) श्री भूपेन्द्र सिंह, विद्युतकार के वेतन में दिनांक 1.10.2012 से ग्रेड पे गलत तरीके से लगाने के कारण उनको वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹0.42 लाख का गलत एवं अधिक भुगतान करनाः—

श्री भूपेन्द्र सिंह विद्युतकार को दिनांक 1.10.2012 से ग्रेड पे की ₹1950 के स्थान पर ₹2400 देने के कारण उनको अवधि 1.10.2012 से 31.5.2016 के दौरान वेतन एवं भत्तों के रूप में निमनविवरणानुसार ₹41226 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है। अतः

अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	अवधि	कुल माह	देय पे+ग्रेड पे	दी गई पे+ग्रेड पे	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर एवं राशि		वसूली योग्य राशि
1	1.10.12 से 31.12.12	3	9180+1950=11130	9180+2400=11580	450	@72%	324	2322
2	1.1.13 से 30.6.13	6	9180+1950=11130	9180+2400=11580	450	@80%	360	4860
3	1.7.13 से 30.9.13	3	9180+1950=11130	9180+2400=11580	450	@90%	405	2565
4	1.10.13 से 31.12.13	3	9520+1950=11470	9530+2400=11930	460	@90%	414	2655
5	1.1.14 से 30.6.14	6	9520+1950=11470	9530+2400=11930	460	@100%	460	5520
6	1.7.14 से 31.9.14	3	9520+1950=11470	9530+2400=11930	460	@107%	492	2856
7	1.10.14 से 31.12.14	3	9870+1950=11820	9890+2400=12290	470	@107%	503	2919
8	1.1.15 से 30.6.15	6	9870+1950=11820	9890+2400=12290	470	@113%	531	6006
9	1.7.15 से 30.9.15	3	9870+1950=11820	9890+2400=12290	470	@119%	531	3003
10	1.10.15 से 31.12.15	3	10230+1950=12180	10260+2400=12660	480	@119%	571	3153
11	1.1.16 से 31.5.16	5	10230+1950=12180	10260+2400=12660	480	@125%	600	5400
						कुल योग		**41226**

(ग) श्री बिहारी लाल, विद्युतकार के वेतन में दिनांक 1.10.2012 से ग्रेड पे गलत तरीके से लगाने के कारण उनको वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹41468 का गलत एवं अधिक भुगतान करनाः—

श्री बिहारी लाल, विद्युतकार की सेवा पंजिका एवं व्यक्तिगत नस्ति की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को दिनांक 1.10.12 से ग्रेड पे ₹1950 के स्थान पर ₹2400 देने के कारण उनको अवधि 1.10.12 से 31.5.16 के दौरान वेतन एवं भत्तों के रूप में निम्नविवरणानुसार ₹41468 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है। अतः अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	अवधि	कुल माह	देय पे+ग्रेड पे	दी गई पे+ग्रेड पे	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर एवं राशि		वसूली योग्य राशि
1	1.10.12 से 31.12.12	3	9480+1950=11430	9480+2400=11880	450	@72%	324	2322
2	1.1.13 से 31.5.13	5	9480+1950=11430	9480+2400=11880	450	@80%	360	4050
3	1.6.13 से 30.6.13	1	9830+1950=11780	9840+2400=12240	460	@80%	368	828
4	1.7.13 से 31.12.13	6	9830+1950=11780	9840+2400=12240	460	@90%	414	5244
5	1.1.14 से 30.5.14	5	9830+1950=11780	9840+2400=12240	460	@100%	460	4600
6	1.6.14 से 30.6.14	1	10190+1950=12140	10210+2400=12610	470	@100%	470	940
7	1.7.14 से 31.12.14	6	10190+1950=12140	10210+2400=12610	470	@107%	503	5838
8	1.1.15 से 30.5.15	5	10190+1950=12140	10210+2400=12610	470	@113%	531	5005
9	1.6.15 से 30.6.15	1	10560+1950=12510	10590+2400=12290	480	@113%	542	1022
10	1.7.15 से 30.9.15	3	10560+1950=12510	10590+2400=12290	480	@119%	571	3066
11	1.10.15 से 31.12.15	3	10560+1950=12510	10590+2400=12290	480	@119%	571	3153
12	1.1.16 से 31.5.16	5	10560+1950=12510	10590+2400=12290	480	@125%	600	5400
						कुल योग		**41468**

17 मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश के सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों अर्थात मन्दिर अधिकारी, सहायक मन्दिर अधिकारी को मानदेय के रूप में ₹2.96 लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 3 (2) के अनुसार "The Government may from time to time appoint such officers and staff to assist the commissioner as it may deem fit." उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मन्दिर प्रबन्धन समिति चिन्तपूर्णी के कार्यों का सुचारू रूप से संचालन के लिए श्री सुभाष चौहान को जनवरी 2015 से दिसम्बर 2016 तक मन्दिर अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा श्रीमती श्रेष्ठा को सहायक मन्दिर अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। श्री सुभाष चौहान

राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश तथा श्रीमती श्रेष्ठा भाषा एवं संस्कृति, हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित है। अंकेक्षण के दौंरान पाया गया कि मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा मन्दिर अधिकारी तथा सहायक मन्दिर अधिकारी को वर्ष में लगने वाले मेलों के दौरान (वेतन+भत्ते) का 50**%** भाग मानदेय के रूप में भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि मन्दिर अधिकारी को ₹2000 की दर से प्रतिमाह मानदेय का भी भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार इन अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नविवरणानुसार ₹295820 का अनियमित भुगतान किया गया है। उपरोक्त के सन्दर्भ में यह वर्णित किया जाता है कि इन अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा मन्दिर कार्यों का संचालन करने के लिए ही की गई है तथा उनके द्वारा मन्दिर कार्यों के अतिरिक्त कोई भी विशेष कार्य नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार उनके द्वारा मन्दिर प्रबन्धन को दी गई सेवाऐं मात्र इनकी वैधानिक सेवा Legitimate Duties का निर्वाहन ही है। अतः इनको निम्नविवरणानुसार मानदेय के रूप में किए गए ₹295820 के अनियमित भुगतान की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए क्योंकि उप सचिव (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या एल0सी0डी0–वी (2) 9/94–1 दिनांक 21.12.2010 में भी यह वर्णित किया गया है कि "It has come to the notice of the Government that some temple trusts are paying remuneration/honorarium to the government officers/officials whereas there is no such provision of payment of remuneration/honorarium in the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act 1984. You are, therefore, requested that, if any, remuneration has been/is being paid in contravention of the provisions of Act, ibid (as amended in 2007 & 2010 respectively), it will amount to audit objections, therefore, timly action for recovery be made from the concerned officers/officials of the Government deputed in the temple trust so as to avoid audit objections." अतः उक्त पत्र के अनुसार भी उन्हें मानदेय का भुगतान देय नहीं है।

क्र0सं0	वा0सं0	दिनांक	श्री सुभाष चन्द, मन्दिर अधिकारी	श्रीमती श्रेष्ठा सह मन्दिर अधिकारी	कुल योग
1	1593	9.1.2015	27460	20700	48160
2	1620	12.1.2015	2000	–	2000
3	1807	24.2.2015	2000	–	2000
4	1856	5.3.2015	2000	–	2000
5	10	2.4.2015	2000	–	2000
6	28	6.4.2015	27460	20700	48160

7	146	1.5.2015	2000	–	2000
8	292	1.6.2015	2000	–	2000
9	432	1.7.2015	2000	–	2000
10	596	1.8.2015	2000	–	2000
11	853	7.9.2015	2000	–	2000
12	954	16.9.2015	28290	21330	49620
13	1024	1.10.2015	2000	–	2000
14	1195	26.10.2015	30129	22716	52845
15	1256	9.11.2015	2000	–	2000
16	1371	1.12.2015	2000	–	2000
17	1523	1.1.2016	2000	–	2000
18	1705	1.2.2016	2000	–	2000
19	1832	2.3.2016	2000	–	2000
20	21	4.4.2016	2000	–	2000
21	129	16.4.2016	30978	24057	55035
22	237/B	2.5.2016	2000	–	2000
23	427	1.6.2016	2000	–	2000
24	631	1.7.2016	2000	–	2000
25	864	1.8.2016	2000	–	2000
26	1186	1.9.2016	2000	–	2000
			186317	**109503**	**295820**

18 चढ़ावे के रूप में प्राप्त आय में से व्यय को कम न करने के पुजारी शेयर को ₹82.09 लाख का गलत एवं अधिक भुगतान करनाः–

मननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेश संख्या CWPS No. 603 of 2003 तथा 257 of 2004 दिनांक 11.5.2005 के अनुसार बारीदारों पुजारियों के शेयर के सन्दर्भ में निम्न विवरणानुसार निर्णय लिया गया थाः–

"We have also taken note of the request of the state Govt. in the affidavit of the chief Secretary with respect to permitting the state Government to deduct the administrative expenditure i.e. Puja Archana, Langar, Dispensary and mantainance Expenditure of the Temple Primes before releasing the share to Baridars/Pujaris from the offering received from the nain Danpatra and other "Golkas" placed in temple premises.Being prima facie satisfied that indeed the above said

administrative expenditure should be borne from the ofersaid offerings, by way of intrim order, we direct that hence for the temple management/state Government/Temple Commissioner shall deduct the administrative expenditure out of the oforesaid offerings."

परन्तु अंकेक्षण अवधि 1/2015 से 12/2016 के दौरान जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट–IV** पर दर्शाए गए विवरणानुसार चढ़ावे की आय में से उक्त व्यय की कटौती किए बिना ही पुजारी शेयर ₹8209353.50 का अधिक भुगतान किया गया है। जोकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। उक्त पुजारी शेयर ₹8209353.50 के अधिक भुगतान के प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 109 दिनांक 12.6.017 द्वारा मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में पत्र संख्या 878/17 दिनांक 25.6.2017 को मन्दिर अधिकारी द्वारा स्पष्ट किया कि उक्त चढ़ावे के रूप में प्राप्त आय में से व्यय को कम न करने के कारण पुजारी शेयर ₹8209353 के अधिक भुगतान को आगामी दिये जाने वाली पुजारी शेयर में से 20**%** की दर से प्रति शेयर के हिसाब से काटे जाऐगे। अतः उक्त पुजारी शेयर के रूप में अधिक भुगतान की गई ₹8209353 की उचित स्त्रोत से वसूली करने उपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 पुजारियों/बारीदारों द्वारा पुजारी शेयरों की न मांगी गई ₹17.27 लाख को सावधि के स्थान पर चालू खाते में रखनाः–

मन्दिर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना जोकि **परिशिष्ट V** पर संलग्न है, के अनुसार अंकेक्षाधीन अवधि 1/2015 से 12/2016 के दौरान बारीदारों द्वारा पुजारी शेयरों ₹12617562 नहीं मांगी गई थी। इस राशि में से ₹1726991 को प्रबन्धन समिति द्वारा बैंक के चालू खाते में रखा गया है तथा बैंक के नियमानुसार उक्त खाते पर ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार चालू खाते में राशि रखने पर ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली अतिरिक्त राशि से वंचित होना पड़ा। अतः परामर्श दिया जाता है कि उक्त खाते में पड़ी राशि को पूर्व वर्षों की भान्ति सावधि जमा योजनाओं में निवेशित किया जाए जिससे उक्त खाते में जमा राशि पर ब्याज अर्जित किया जा सके।

20 पुजारियों द्वारा अपने हिस्से की न माँगी गई राशियों को सावधि जमा योजना में निवेशित करने बारेः–

उपरोक्त के अतिरिक्त मन्दिर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पुजारियों द्वारा अपने हिस्से की न माँगी गई कुछ राशियों को मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की चिन्तपूर्णी शाखा में सावधि जमा योजनाओं में निम्न प्रकार से निवेशित

किया गया है। अतः सावधि जमा में निवेशित इन राशियों को परिपक्वता पर पुनः सावधि जमा योजना में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	**सावधि जमा सं0**	**अवधि**	**निवेशित राशि**	**ब्याज दर**	**परिपक्वता राशि**	**ब्याज**
1	30932944516	23.9.16 से 23.9.17	10739257	6.75%	11482713	743456
2	30932942564	27.9.16 से 27.9.17	7058470	7.15%	7576844	518374
3	33511309785	10.12.16 से 10.12.17	7946225	6.90%	8508865	562640
4	33511310860	10.12.16 से 10.12.17	7946225	6.90%	8508865	562640
5	34551550793	31.12.16 से 31.12.17	6975889	6.90%	7469824	493935
6	35430698867	31.12.16 से 31.12.17	5344290	6.90%	5722698	378408
7	36285508013	3.12.16 से 3.12.17	2500000	6.90%	2677015	177015

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त मन्दिर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार माननीय न्यायालयों के आदेशों की अनुपालना में पुजारियों द्वारा अपने हिस्से की न मांगी गई कुछ राशियों को मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की चिन्तपूर्णी शाखा में सावधि जमा योजनाओं में निम्न प्रकार से निवेश किया गया है। अतः माननीय न्यायालय का निर्णय आने पर इन सावधि योजना में जमा राशि तथा इन पर प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि के बारे में तदानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	**सावधि जमा सं0**	**अवधि**	**निवेशित राशि**	**ब्याज दर**	**परिपक्वता राशि**	**ब्याज**
1	31043293064	2.2.16 से 2.2.17	2489948	7.25%	2675437	185489
2	31400364021	9.9.16 से 9.9.17	577567	7.15%	619984	42417
3	31977159403	8.10.16 से 8.10.17	828927	7.15%	889803	60876
4	32173559893	3.02.16 से 3.02.17	1129001	7.25%	1213106	84105
5	32876316125	11.03.16 से 11.03.17	1808543	7.25%	1943270	134727

6	33509070737	9.12.16 से 9.12.17	1216640	6.90%	1302785	86145
7	34348756265	29.10.16 से 29.10.17	1497063	7.05%	1605429	108366
8	35422892162	28.12.16 से 28.12.17	1541458	6.90%	1650602	109144
9	36285528574	3.12.16 से 3.12.17	1310764	6.90%	1403574	92810
10	30991422578	15.12.16 से 15.12.17	208081	6.90%	222814	14733
11	31400379650	9.9.16 से 9.9.17	115123	7.15%	123578	8455
12	31977160112	8.10.16 से 8.10.17	115127	7.15%	123572	8455
13	32173557727	3.02.16 से 3.02.17	156804	7.25%	168485	11681
14	32876312959	11.3.16 से 11.3.17	251186	7.25%	269898	18712
15	33507636638	9.12.16 से 9.12.17	167704	6.90%	179578	11874
16	34348739840	29.10.16 से 29.10.17	207922	7.05%	222973	15051
17	34422926227	28.12.16 से 28.12.17	214089	6.90%	229248	15159
18	36285510861	3.12.16 से 3.12.17	182054	6.90%	194945	12891
19	30991424291	15.12.16 से 15.12.17	1481324	6.90%	1586211	104887
20	31400368491	9.9.16 से 9.9.17	518069	7.15%	556116	38047
21	31977152838	8.10.16 से 8.10.17	354603	7.15%	380645	26042
22	32173557160	3.2.16 से 3.2.17	705624	7.25%	758189	52565
23	32876305000	11.3.16 से 11.3.17	1130339	7.25%	1214544	84205

24	33507679219	9.12.16 से 9.12.17	760398	6.90%	814239	53841
25	34348750728	29.10.16 से 29.10.17	935665	7.05%	1003394	67729
26	35422891475	28.12.16 से 28.12.17	963410	6.90%	1031625	68215
27	36285527671	3.12.16 से 3.12.17	819230	6.90%	877236	58006

21 पुजारी शेयरों की न मांगी गई सावधि जमा योजना में जमा राशियों पर आयकर की ₹3.35 लाख की कटौती करने बारेः—

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता चिन्तपूर्णी द्वारा पुजारी शेयरों की न मांगी गई कुछ राशियों को भारतीय स्टेट बैंक की चिन्तपूर्णी शाखा में सावधि जमा योजनाओं में निवेशित किया गया है। परन्तु निम्नविवरणानुसार चैक द्वारा विभिन्न सावधि योजना में जमा राशियों की परिपक्वता पर प्राप्त होने वाले ब्याज पर आयकर की कटौती करने के उपरान्त शेष राशि को पुर्ननिवेशित किया गया है। इस सन्दर्भ में चर्चा के दौरान अंकेक्षण को यह भी बताया गया कि मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी को नियमानुसार आयकर विभाग से कर की छूट भी मिली है। अतः बैंक द्वारा अनियमित रूप से काटे गए आयकर की ₹334666 के मामले को सम्बन्धित बैक से उठाया जाए तथा उक्त राशि को बैंक से प्राप्त करके इसे मन्दिर निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	सावधि जमा सं0	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	ब्याज दर	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	पुनः निवेशित राशि	अन्तर
1	30932944516	23.9.15	10084729	7%	23.9.16	10809408	10739257	70151
2	30932942564	27.9.15	6599843	7.50%	27.9.16	7108928	7058470	50458
3	33511309785	10.12.15	7431245	7.25%	10.12.16	7984836	7946225	38611
4	33511310860	10.12.15	7431245	7.25%	10.12.16	7984836	7946225	38611
5	34551550793	31.12.15	6526488	7.25%	31.12.16	7012679	6975889	36790
6	35430698867	31.12.15	5000000	7.25%	31.12.16	5372475	5344290	28185
7	31400364021	9.9.15	539655	7.50%		581282	577567	3715
8	31977159403	8.10.15	777147	7.25%		835041	828927	6114
9	33509070737	9.12.15	1137771	7.25%		1222529	1216640	5889
10	34348750265	29.10.15	1404670	7.25%		1509311	1497063	12248
11	35422891475	28.12.15	1442047	7.25%		1549472	1541458	8014
12	30991422578	15.12.15	194614	7.25%		209112	208081	1031
13	31400379650	9.9.15	107567	7.50%		115864	115123	741
14	31977160112	8.10.15	107936	7.25%		115977	115127	850

15	33507636638	9.12.15	156833	7.25%	168516	167704	812
16	34348739840	29.10.15	195091	7.25%	209623	207922	1701
17	34422926227	28.12.15	200282	7.25%	215202	214089	1113
18	30991424291	15.12.15	1385453	7.25%	1488662	1481324	7338
19	31400368491	9.9.15	484063	7.50%	521402	518069	3333
20	31977152838	8.10.15	332453	7.25%	357219	354603	2616
21	33507679219	9.12.15	711105	7.25%	764079	760398	3681
22	34348750728	29.10.15	877919	7.25%	943320	935665	7655
23	35422891475	28.12.15	901278	7.25%	968419	963410	5009
						योग	**334666**

22 अधिक भुगतान व अंकेक्षण के दौरान ₹0.12 लाख की वसूली बारेः–

वाउचर संख्या 514/16 माह 10/2016 ₹356635 निर्माण कार्य "C/O Rain Shelter at Bharwain near, Gate and steps, R/wall" की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार गलत गणना करने के कारण संविदाकार को ₹11653 का अधिक भुगतान किया गया।

माप पुस्तिका संख्या–4

क्र0सं0	**माप पुस्तिका पेज सं0**	**मद सं0**	**मद का नाम**	**ली गई मात्रा/गणना**	**उचित गणना**	**अन्तर**	**दर**	**अधिक भुगतान**
1	52	2	CC 1:4:8	1.71+5.73/2x8.45=31.43m3	1.71+4.99/2x8.45=28.30m3	3.13m3	2900	9077
2	54	2	CC 1:4:8	5.20+7.56/2x9.30=59.52m3	59.33m3	0.19m3	2900	551
3	48	3	Exacavation in earth work & filling	405+2.13/2x6.45=15.03m3	8.17m3	6.86m3		
4	54	3	-do-	6x7.87/2x9.30=70.91m3	64.49m3	6.42m3		
						13.28m3	250	3320
								12948
						Rovate		1295
						अधिक भुगतान		11653

उपरोक्त उल्लेखित किए गए कार्य हेतु अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 115/2017 दिनांक 2.6.2017 को मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया। जिस पर मन्दिर अधिकारी द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त रसीद संख्या 429/89 दिनांक 16.6.2017 द्वारा मन्दिर कोष में जमा करवा दी गई है।

23 **निर्माण कार्य का नामः— C/O Boundary wall of sub Treassury Amb**

संविदाकार का नामः— श्री गौरव कुमार

कार्य आबंटन संख्याः— TTC-153/Dev-15-419/15 दिनांक 4.4.2015

निर्माण बिलः— प्रथम एवं द्वितीय अन्तिम बिल

मापन पुस्तिका संख्याः— 40 पृष्ठ संख्या 33 से 48

निर्माण कार्य के प्रथम तथा द्वितीय अन्तिम बिल की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नानुसार दर्शाई गई मदों की गणना गलत करने के कारण संविदाकार को ₹587 का अधिक भुगतान किया गया। मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा ₹587 की वसूली रसीद संख्या 429/91 दिनांक 16.6.2017 के द्वारा अंकेक्षण के दौरान कर ली गई जिसकी पुष्टि कर ली गई है।

मद सं0	मद का नाम	ली गई मात्रा	मात्रा जो बनती है	अन्तर	दर	राशि
6	P & L cement/Steel Reinforcement	270.10 Kg	205.31 Kg	1.78 Kg	58	104
7	Steel work welded in built up sections	2522.91 Kg	2515.91 Kg	7 Kg	69	483
					योग	**587**

24 **निर्माण कार्य बिलों से बिक्री कर की ₹4495 की कम कटौती करनाः—**

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिूसचना संख्याः ई0एक्स0एन0—एफ (5)—1/2010—लूज दिनांक 6.8.2012 के अनुसार श्रेणी—सी तथा डी संविदाकारों द्वारा निष्पादित किए गए निर्माण कार्य बिलों से 3**%** की दर से बिक्रीकर की कटौती की जानी अपेक्षित थी। परिणामस्वरूप इस सन्दर्भ में सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार बिक्री कर की कटौती न करने के कारण बिक्री कर की ₹4495 की कटौती कम की गई, जिसका विवरण इस प्रकार से है। इस राशि की वसूली अंकेक्षण के दौरान ही रसीद संख्या 429/90 दिनांक 16.6.2017 तथा संख्या 429/92 दिनांक 16.6.2017 द्वारा कर ली गई है जिसकी पुष्टि कर ली गई।

मापन पुस्तिका सं0	पृ0सं0	संविदाकार का नाम	निर्माण कार्य का नाम	भुगतान	बिक्री कर कटौती 2%	बिक्री कर कटौती योग्य 3%	अन्तर
40	48	श्री गौरव कुमार	C/O Boundry wall of sub Treasury Amb	321162	6294	9635	3341
40	54	श्री अश्वनी कुमार	Provision of Railing in frount of lift building	115402	2308	3462	1154
						योग	**4495**

25 मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2015 व 2016 के दौरान विभिन्न विकास कार्यों हेतु विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रधानों को प्रदान की अनुदान ₹36.40 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने बारेः–

मन्दिर न्यास द्वारा मन्दिर न्यास से वर्ष 2015 व 2016 के दौरान नजदीकी पंचायत प्रधानों को विभिन्न विकास कार्यों हेतु अनुदान की ₹3639950 प्रदान की गई है, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क्र0सं0	दिनांक	सम्बन्धित पंचायत का नाम	अनुदान राशि	उद्देश्य
1	7.1.2015	प्रधान ग्राम पंचायत नारी	100000	C/O improvement nala near GSSS Chintpurni
2	23.2.2015	प्रधान ग्राम पंचायत छपरोह	114000	नाली रास्ते के किनारे कलि राम के घर से मोहनलाल कालिया के घर तक
3	30.3.2015	प्रधान ग्राम पंचायत नारी	75000	Photo of Board fixed on work site of Saraio
4	22.4.2015	प्रधान ग्राम पंचायत छपरोह	300000	रास्ता मुरम्मत जय कुमार कालिया के घर से जीतलाल कालिया के घर तक
5	29.6.2015	प्रधान ग्राम पंचायत नारी	187500	सराय निर्माण
6	4.9.2015	प्रधान ग्राम पंचायत छपरोह	150000	निर्माण रास्ता अशोक कुमार नगरिया के घर से मनोहर लाल के घर तक

7	4.9.2015	प्रधान ग्राम पंचायत गंगोट	150000	निर्माण रास्ता सम्नोली बाई पास रोड से प्राथमिक पाठशाला तक
8	4.9.2015	प्रधान ग्राम पंचायत नारी	150000	निर्माण रास्ता आटा चक्की से टिल्लू बस्ती तक
9	4.9.2015	प्रधान ग्राम पंचायत नारी	62500	सराय निर्माण
10	21.12.2015	प्रधान ग्राम पंचायत गंगोट	39500	निर्माण रास्ता खडड से किशोरीलाल के घर तक
11	21.12.2015	प्रधान ग्राम पंचायत छपरोह	50000	निर्माण रास्ता अशोक कुमार नगरिया के घर से मनोहर लाल के घर तक
12	21.12.2015	प्रधान ग्राम पंचायत छपरोह	100000	रास्ता मुरम्मत जैकुमसार कालिया के घर से जीतलाल कालिया के घर तक
13	24.12.2015	प्रधान ग्राम पंचायत गंगोट	50000	निर्माण रास्ता सम्नोली बाई पास रोड से प्राथमिक पाठशाला तक
14	13.1.2016	प्रधान ग्राम पंचायत नारी	50000	निर्माण रास्ता आटा चक्की से टिल्लू बस्ती तक
15	15.9.2016	प्रधान ग्राम पंचायत छपरोह	100000	फर्नीचर क्रय करने के लिए
16	15.9.2016	प्रधान ग्राम पंचायत नारी	131250	निर्माण रेलिंग दौलतराम के घर से मदन लाल के घर तक
17	15.9.2016	प्रधान ग्राम पंचायत नारी	100000	फर्नीचर क्रय करने के लिए
18	7.10.2016	प्रधान ग्राम पंचायत गंगोट	400000	निर्माण रास्ता ल्लोडिया दा बाग
19	25.10.2016	प्रधान ग्राम पंचायत नारी	445500	C/O improvement nala near GSSS Chintpurni
20	1.12.2016	प्रधान ग्राम पंचायत छपरोह	67500	निर्माण रास्ता राजकुमार के घर से खेमराज के घर तक
21	1.12.2016	प्रधान ग्राम पंचायत छपरोह	195000	मुरम्मत रास्ता नजदीक मदन शर्मा के घर से प्रकाश चन्द से घर तक
22	1.12.2016	प्रधान ग्राम पंचायत छपरोह	172200	मुरम्मत रास्ता फिल्लौर धर्मशाला से देवराज के घर तक

23	21.12.2016	प्रधान ग्राम पंचायत नारी	225000	C/O Path R.W. Near H/O Balkrishan W.No.1
24	21.12.2016	प्रधान ग्राम पंचायत नारी	225000	C/O Path R.W. near baba Balak Nath Chowk to surjeet singh house
		कुल योग	**3639950**	

उपरोक्त उल्लेखित विभिन्न विकास कार्यों हेतु विभिन्न ग्राम पंचायत प्रधानों को प्रदान की गई अनुदान ₹3639950 के वास्तविक व्यय एवं इस व्यय की पुष्टि हेतु कि यह राशि जिस कार्य हेतु स्वीकृत की गई है, उसी कार्य पर खर्च की गई है, इससे सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से आवश्यक सत्यापन सहित प्राप्त किए जाने अपेक्षित थे जबकि मन्दिर न्यास द्वारा उपरोक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए। अतः उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएं ताकि स्वीकृत अनुदान से किए गए वास्तविक व्यय की जाँच सम्भव हो सके व यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुदान राशि उसी कार्य पर खर्च हुई है, जिस कार्य हेतु प्रदान की गई थी।

26 मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा क्रय की गई ₹6.93 लाख की दवाईयों को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करने बारेः–

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा मेले के दौरान निम्न विवरणानुसार दवाईयों का क्रय किया गया है, परन्तु दवाई को भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त यह दवाईयाँ एच0पी0स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन से क्रय न करके खुले बाजार से क्रय की गई, जोकि अनियमित है। इस बारे अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या 91/2017 दिनांक 3.5.2017 द्वारा आपत्ति उठाई गई, जिसके उत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा इस बारे कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी से नियमित करवाकर व भण्डार रजिस्टर को पूर्ण किया जाये।

वा0सं0	**मास/दिनांक**	**फर्म का नाम**	**राशि**
1642	16.1.2015	मै0 जन औषधि स्टोर ऊना	32885
1643	16.1.2015	मै0 रमण मेडिकल स्टोर भन्जाल	19259
79	20.4.2015	मै0 जन औषधि स्टोर ऊना	71327
80	20.4.2015	मै0 रमण मेडिकल स्टोर भन्जाल	40166
709	18.8.2015	मै0 हिम मेडिकल Ajency	23625
765/0	1.9.2015	मै0 कंवर मेडिकल स्टोर अम्बोटा	24984

765/F	1.9.2015	मै0 चडडा मेडिकल Ajency ऊना	154896
765/P	1.9.2015	मै0 रमण मेडिकल स्टोर भन्जाल	74595
771/A	2.9.2015	मै0 हरे कृष्णा मेडिकल स्टोर अम्ब	6833
1143	19.10.2015	मै0 ऋषि मेडिकल स्टोर ऊना	49937
1189	24.10.2015	मै0 रमण मेडिकल स्टोर भन्जाल	29086
1534	1.1.2016	मै0 चडडा मेडिकल Ajency ऊना	29297
1694	1.2.2016	मै0 हरे कृष्णा मेडिकल स्टोर अम्ब	20056
1898	17.3.2016	मै0 हरे कृष्णा मेडिकल स्टोर अम्ब	6833
209	1.5.2016	मै0 चडडा मेडिकल Ajency ऊना	59068
1607	24.10.2016	मै0 सेवास बायोटेक ऊना	49795
		कुल योग	**692642**

27 सुलभ इन्टरनेशनल चण्डीगड़ को भुगतान ₹6.75 लाख बारेः–

मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा मेलों के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु अस्थाई शौचालयों का निर्माण प्रतिवर्ष करवाया जाता है। इस निर्माण हेतु प्रतिवर्ष अत्याधिक राशि का भुगतान सुलभ इन्टरनैशनल चण्डीगढ़ को किया जाता है। अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 के दौरान अस्थाई शौचालयों के निर्माण करवाने के लिए सुलभ इन्टरनैशनल चण्डीगढ़ को ₹675000 का भुगतान किया गया। इस सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि माता श्री चिन्तपूर्णी के श्रद्धालुओं की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है परन्तु मन्दिर प्रबन्धन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु स्थाई शौचालय का निर्माण नहीं करवाया गया है तथा प्रत्येक मेले के दौरान मात्र अस्थाई शौचालयों का निर्माण करवाकर अत्याधिक राशि का भुगतान किया जाता है। यदि मन्दिर प्रबन्धन द्वारा स्थाई शौचालयों का निर्माण करवाया जाता तो इससे एक ओर जहां श्रद्धालुओं को सुविधा प्राप्त होती वहीं दूसरी ओर मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा मेलों के दौरान अस्थाई शौचालयों हेतु प्रतिवर्ष किए जा रहे लाखों रूपये के अनावश्यक भुगतान से भी बचा जा सकता था। अतः इस प्रकरण में मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा आन्तरिक जाँच करके तदानुसार यथोचित कार्रवाई अमल में लाई जाए।

28 नियमानुसार दूरी तय न करके वाहनों को नकारा घोषित करके नीलामी करनाः–

वाहनों की नीलामी से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी में निम्नविवरणानुसार वाहनों द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दूरी तय न करके नकारा घोषित करके नीलामी की गई।

क्र0सं0	गाड़ी नं0	गाड़ी का प्रकार	तय की गई दूरी	नीलामी की तिथि	नीलामी रजिस्टर पृ0सं0
1	एच0पी0–19 सी–0666	एम्बूलैंस	63908	4.12.2015	87
2	एच0पी0–20 ए–3770	एम्बूलैंस	148271	4.12.2015	88

हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग के अवर सचिव के पत्र संख्या Fin-(F)-I-C-(3)-9/92-I दिनांक 20 अगस्त, 2002 के अनुसार उक्त वाहनों को 2 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने उपरान्त ही नकारा घोषित करके नीलाम किया जाना अपेक्षित था। उक्त अनियमितता का प्रकरण अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या–151/2017 दिनांक 27.6.2017 द्वारा मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः उपरोक्त उल्लेखित गाड़ियों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दूरी तय न करके नीलामी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त अनियमितता को नियमित करवाने हेतु सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाए।

29 अनियमित भुगतान ₹0.07 लाखः–

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि वाउचर संख्या 667 दिनांक 11.8.2015 द्वारा मल्होत्रा इन्जीनियरिंग वर्कस बणे दी हटटी, मुबारिकपुर को कार्यालय उपमण्डल अधिकारी अम्ब में वाटरकूलर की रिपेयर/मुरम्मत करवाने हेतु ₹6800 का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	वा0सं0/दिनांक	फर्म का विवरण	क्रय सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	667/11.8.15	मल्होत्रा इन्जीयरिंग वकर्स बणे दी हटटी मुबारिकपुर	वाटर कूलर कम्परैसर (किरलोसरकर)	1	8300	8300
			पुराना कम्परैसर	–	–	(–)1500
					भुगतान	6800

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाउचर की जाँच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ है जिनका निराकरण किया जाए।

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 के नियमों में उपरोक्त उल्लेखित उप मण्डलाधिकारी कार्यालय अम्ब से वाटर कूलर की मुरम्मत करवाने हेतु व्यय करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः उपरोक्त उल्लेखित व्यय को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

30 73.80 क्विंटल तूड़ी की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियों व खपत का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि वाउचर संख्या–624 दिनांक 4.8.2015 द्वारा श्री रत्न चन्द पप्पू तूड़ी टाल करलूही, अम्ब को 73.80 क्विंटल तूड़ी क्रय करने पर निम्नविवरणानुसार ₹46387 का भुगतान किया गया।

क्र0सं0	वा0सं0/दिनांक	फर्म का विवरण	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	624/4.8.15	रत्न चन्द पप्पू तुड़ी टाल करलूही, अम्ब	तूड़ी	73.80 क्विंटल	615	45387
					मजदूरी	1000
					योग	**46387**

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाउचर की जाँच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ है जिनका निराकरण किया जाए।

(1) उपरोक्त उल्लेखित 73.80 क्विंटल तूड़ी की स्टॉक प्रविष्टि व खपत से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके फलस्वरूप उक्त क्रय की गई तूड़ी की स्टॉक प्रविष्टि व खपत से सम्बन्धित प्रविष्टियों की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना सम्भव न हो सकी। अतः वाँछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

31 कम्पयूटर एवं प्रिंटर को हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रानिक कार्पोरेशन, शिमला से क्रय न करनाः–

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि वाउचर संख्या 693/15 दिनांक 15.8.2015 द्वारा एक कम्पयूटर, यू0पी0एस0 व प्रिंटर क्रय करने पर मार्डन कम्पयूटर्स, दौलतपुर चौक जिला ऊना को ₹37800 का भुगतान किया गया।

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाउचर की जाँच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ है जिनका निराकरण किया जाए।

(1) उपरोक्त उल्लेखित कम्पयूटर, यू0पी0एस0 व प्रिंटर का क्रय निविदाओं के आधार पर स्थानीय फर्म से किया गया, जबकि यह क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के उपक्रम हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक कारपोरेशन, शिमला से किया जाना अपेक्षित था। अतः उक्त सामान को हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रानिक कार्पोरेशन खलीणी शिमला से क्रय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

32 स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख मौजूद न होनाः–

व्यय की जाँच के दौरान पाया गया कि माह 8/15 के दौरान निम्नविवरणानुसार सामान का क्रय किया गया। लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख मौजूद नहीं था। अतः वाँछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	वा0सं0 व दिनांक	फर्म का विवरण	क्रय का सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	601/15/ 1.8.15	रेणू प्रिटिंग प्रैस, भरवाई	गणना रजिस्टर	10	185	1850
2	704/15/ 18.8.15	एन्कर पैनासोनिक चिन्तपूर्णी	पावर स्ट्रिप (4+1)	–	–	250
3	704/15/ 18.8.15	मैसर्ज शर्मा प्लास्टिक हाऊस, चिन्तपूर्णी	कप गिलास	3 सैट 3 दर्जन	350 144	1050 432
					योग	**1482**
		क्रम संख्या (1) से (3) तक का कुल योग				**₹3582**

33 बिल/वाउचरों को आहरण एवं वितरण अधिकारी से भुगतान हेतु पारित न करवाने बारेः—

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि माह 10/2016 के दौरान निम्नविवरणानुसार विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत भुगतान किया गया है।

क्र0सं0	वा0सं0	मास	राशि	विवरण
1	1358	10/2016	1800	श्री जोगिन्द्र पाल सुपुत्र श्री राम दास चिन्तपूर्णी को झण्डे रखने के लिए खाली जगह का किराया
2	1522	10/2016	15000	श्री राम पाल शर्मा गांव व डा0 डंगोह को उनकी पुत्री की शादी के लिए अनुदान

उपरोक्त क्रम संख्या (1) व (2) पर उल्लेखित व्यय वाउचरों को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु पारित नहीं किया गया। इस प्रकरण को अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या 116/2017 दिनांक 3.6.2017 द्वारा मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में मन्दिर अधिकारी ने स्पष्ट किया कि उक्त बिल/वाउचरों को सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी से भुगतान हेतु पारित करवाने उपरान्त सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

34 वाउचर संख्या 1663 मास 10/2016 ₹47500

मैसर्ज बिटटू लाईट एण्ड टैन्ट हाऊस चिन्तपूर्णी को पुराने बस अडडे पर शामियाना लगाने के लिए बिल संख्या 883 दिनांक 1.10.2016 के द्वारा ₹47500 का भुगतान किया गया परन्तु बिल का योग ₹47250 बनता है। इस प्रकार फर्म को ₹250 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली अंकेक्षण के दौरान रसीद संख्या 429/57 दिनांक 2.6.2017 के द्वारा कर ली गई तथा पुष्टि कर ली गई।

35 मन्दिर प्रबन्धन समिति के अनुमोदन के बिना स्टोर से मदें जारी करनाः—

दिनांक 14.10.2016 को मन्दिर भण्डार से रैड क्रॉस सोसाईटी जिला ऊना को निम्नानुसार मदें जारी की गई परन्तु इन मदों को जारी करने के लिए मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया जोकि अनुचित है। अतः मन्दिर प्रबन्धन समिति का अनुमोदन प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

मद का नाम	मात्रा
शाल	200 नं0
सूट	200 नं0

36 शादियों के लिए परिवार के सदस्यों के स्थान पर अन्य लोगों को स्टोर से मदें जारी करनाः—

गरीब कन्याओं की शादी के लिए मास 10/2016 में जारी किए गए सामान की जाँच करने पर पाया गया कि जिन व्यक्तियों ने अपनी पुत्रियो की शादी के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिये थे उन्हें अथवा राशन कार्ड में दर्ज उनके परिवार के सदस्यों को सामान जारी न करके अन्य व्यक्तियों को सामान जारी किया गया है जोकि अनुचित है। अतः भविष्य में सामान उन्ही व्यक्तियों अथवा उनके परिवार के सदस्यों को जारी किया जाए जिनसे विवाह हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होते है।

क्र0सं0	व्यक्ति का नाम जिससे प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ	व्यक्ति का नाम जिसे सामान जारी किया गया जोकि राशन कार्ड के अनुसार परिवार सदस्य नहीं है	दिनांक
1	श्रीमती सीमा देवी	श्री अशोक कुमार	1.10.2016
2	श्री चरण दास	श्रीमती सुरेन्द्र कौंर	2.10.2016
3	श्री करनैल सिंह	श्री परविन्द्र कुमार	3.10.2016
4	श्रीमती कश्मीरी देवी	श्री इद मुहम्मद	3.10.2016
5	श्री सुरजीत सिंह	श्री सोनू जसवाल	3.10.2016
6	श्री ओंकार चन्द	श्री रमेश चन्द	6.10.2016
7	श्री धर्मपाल	श्री रवीन्द्र कुमार	6.10.2016
8	श्री सतपाल	श्री भूपिन्द्र	7.10.2016
9	श्री अनिल कुमार	श्री मोती राम	7.10.2016
10	श्री शाम लाल	श्री राज कुमार	18.10.2016
11	श्रीमती सुनीता देवी	श्री मनदीप सिंह	18.10.2016
12	श्री विजय कमार	श्रीमती कृष्णा देवी	22.10.2016
13	श्री ओंकार सिंह	श्री अश्विनी कुमार	25.10.2016
14	श्रीमती माया देवी	श्री धर्मपाल	11.10.2016

37 मन्दिर प्रबन्धन समिति के अनुमोदन के बिना शादी के लिए स्टोर से मदें जारी करनाः—

दिनाँक 17.5.2016 को मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी की मद संख्या 7 में निर्णय लिया गया, "जिला कांगड़ा की तीन पंचायतें समनोली, मोईन व चलाली ऊना जिला से लगती है। उनकी लड़कियों की शादी के लिए भी उपरोक्त लिए गए निर्णय के

अनुसार सामान एवं अनुदान राशि दी जाए। इसके अतिरिक्त जो सामान मन्दिर से गरीब लड़कियों की शादी पर दिया जाता है उसके लिए कांगड़ा जिले की बैह डोंटा, स्वाणा एवं कड़ोआ की पंचायतों के लोगों को भी शामिल किया गया। परन्तु मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के विरूद्ध जाकर निम्नानुसार कन्याओं की शादी हेतु मास 10/2016 में मदे कॉंगड़ा जिला की अन्य पंचायतों के लोगों को जारी की गई जिनका मन्दिर प्रबन्धन समिति से अनुमोदन करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अंकेक्षण का सुझाव है कि भविष्य में मन्दिर समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ही मदों को जारी करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	**नाम व पता**	**सामान जारी करने की तिथि**
1	श्री अनूप कुमार सुपुत्र स्वर्गीय रोशन लाल गॉंव व डा0 देहरा जिला कांगड़ा	2.10.2016
2	श्री करनैल सिंह गॉव बदायण डा0 लग तह0 डाडासीबा जिला कॉंगड़ा	3.10.16
3	श्री सुरजीत सिंह गॉव व डा0 डाडासीबा जिला कांगड़ा	3.10.2016
4	श्री ओंकार सिंह धमेडी, ग्राम पंचायत बठरा तहसील डाडासीबा जिला कांगड़ा	6.10.2016
5	श्री तिलक राज शर्मा गॉंव बेहड़ डा0 बेहड़ कुठेड़ा तह0 जसवॉं जिला कांगड़ा	7.10.2016
6	श्री शिव कुमार गॉंव घरधेडू तह0 देहरा जिला कांगड़ा	17.1.2016
7	श्री लेख राम पुत्र प्यार चन्द गॉंव जलेरा तह0 जसवॉं जिला कांगड़ा	17.10.2016
8	श्री संजीव कुमार गॉंव महाल चपलाह तह0 डाडासीबा, जिला कॉंगड़ा	17.10.2016
9	श्री काका राम गॉंव चटवाल तहसील डाडासीबा जिला कांगड़ा	21.10.2016
10	श्री ओंकार सिंह गॉंव व डा0 टिपरी तह0 डाडासीबा जिला कांगड़ा	25.10.2016
11	श्री रमेश कुमार गॉंव व डा0 गुरालधार तह0 जसवॉं जिला कॉंगड़ा	26.10.2016
12	श्री शमशेर सिंह गॉंव बरवाड़ा डा0 ठोर तह0 देहरा जिला कांगड़ा	31.10.2016

38 दान/चढ़ावे के रूप में प्राप्त सामान का दुरूपयोग व मौके पर स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज करनाः—

जॉंच के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण हेंतु चयनित माह 8/2015 व 8/2016 के दौरान दान/चढ़ावे के रूप में रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त सामान की मात्रा को दैनिक चढ़ावा रजिस्टर में दर्ज न करना, दैनिक चढ़ावा रजिस्टर में कम मात्रा दर्ज करना, दैनिक चढ़ावा

रजिस्टर में दर्ज सामान की मात्रा का कम योग दर्शाकर स्टॉक रजिस्टर में कम सामान की मात्रा दर्ज करना व स्टॉक रजिस्टर में दर्ज सामान की मात्रा की गणना में त्रुटि होने के कारण कम शेष दर्शाने के कारण निम्नलिखित सामान का दुरूपयोग किया गया।

(1) रसीदों में दर्ज दान/चढ़ावे के रूप में प्राप्त सामान को दैनिक चढ़ावा रजिस्टर में दर्ज न करनाः—

क्र0सं0	दिनांक	रसीद संख्या	सामान का विवरण	मात्रा
1	7.8.15	4667/17	घी	5 कि0ग्रा0
2	8.8.16	4751/94	सूट	3
3	14.8.16	4754/97	चुनियाँ	10
4	14.8.16	4755/05	चुनियाँ	5
5	30.8.16	4757/85	सूट	1
6	30.8.16	4757/85	कपड़ा	4 मीटर
7	30.8.16	4757/85	भारत घण्टी	2

(2) रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त सामान की मात्रा से कम मात्रा दैनिक चढ़ावा रजिस्टर में दर्ज करनाः—

क्र0सं0	दिनांक	रसीद सं0	सामान का विवरण	मात्रा	दैनिक चढ़ावा रजिस्टर पृ0सं0	दर्ज की गई मात्रा	कम दर्ज की गई मात्रा
1	3.8.2016	4750/71	कोटी	2	16959	1	1
2	23.8.2016	4756/80	साड़ी	2	16983	1	1
3	30.8.2016	4757/81	बैड शीट	8	16990	1	7

(3) दैनिक चढ़ावा रजिस्टर में दर्ज किए गए सामान की मात्रा को स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज न करनाः—

क्र0सं0	दिनांक	दैनिक चढ़ावा रजिस्टर पृ0सं0	सामान का विवरण	मात्रा
1	4.8.15	16577	लेडीज कोट	1
2	8.8.15	16581	कपड़ा	4 मीटर
3	13.8.15	16586	लाल कपड़ा	4 मीटर
4	14.8.15	16587	लाल कपड़ा	4 मीटर
5	17.8.15	16591	स्टील थाली	1
6	17.8.15	16592	पानी कैम्पर	1
7	19.8.15	16594	बेबी जैकेटस	1
8	23.8.15	16602	भारत घण्टी	1
9	1.8.16	16957	लेडीज कोट	3
10	2.8.16	16958	हुड	1

11	3.8.16	16959	तौलिया	1
12	3.8.16	16959	लाल चुनियाँ	15
13	11.8.16	16971	कोट	1
14	16.8.16	16976	कवर	2
15	23.8.16	16983	शॉल	1

(4) दैनिक चढ़ावा रजिस्टर में दर्ज सामान की मात्रा से कम योग दर्शाकर स्टॉक रजिस्टरों में कम सामान की मात्रा दर्ज करनाः–

क्र0सं0	दिनांक	दैनिक चढ़ावा रजिस्टर पृ0सं0	सामान का विवरण	वास्तविक योग	दर्शाया गया योग	कम दर्शाया गया योग
1	4.8.15	16577	घी	34 कि0ग्रा0	32 कि0ग्रा0	2 कि0ग्रा0
2	6.8.15	16579	घी	12 कि0ग्रा0	6 कि0ग्रा0	6 कि0ग्रा0
3	11.8.15	16584	थाली	3	2	1
4	16.8.15	16590	घी	58 कि0ग्रा0	54 कि0ग्रा0	4 कि0ग्रा0
5	17.8.15	16591 व 16592	सूट	33	32	1
6	18.8.15	16593	गिलास	3	2	1
7	21.8.15	16597	घी	28 कि0ग्रा0	27 कि0ग्रा0	1 कि0ग्रा0
8	24.8.15	16603	सूट	56	47	9
9	25.8.15	16604	सूट	37	36	1
10	26.8.15	16605	भारत घण्टी	7	1	6
11	27.8.15	16605	कोटी	2	1	1
12	5.8.16	16962	साड़ी	6	5	1
13	9.8.16	16968	थाली	15	14	1
14	14.8.16	16974	सूट	34	24	10
15	20.8.16	16980	थाली	8	7	1
16	21.8.16	16981	घी	22 कि0ग्रा0	21 कि0ग्रा0	1 कि0ग्रा0

(5) गणना में त्रुटि के कारण कम योग दर्शानाः–

क्र0सं0	माह	स्टॉक रजिस्टर पृ0सं0	सामान का विवरण	वास्तविक योग	दर्शाया गया योग	कम दर्शाया गया योग
1	8/15	14	पीतल घंटियाँ	16	13	3

(6) रसीद संख्या 4758/58 दिनांक 29.8.2016 को रसीद में साड़ी वाले खाने में एक पंखा (छतवाला) दर्ज किया गया है व दैनिक चढ़ावा रजिस्टर तथा सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में भी 1 पंखा की जगह 1 साड़ी ही दर्ज करके एक पंखा का दुरूपयोग किया गया।

उपरोक्त उल्लेखित दुरूपयोग किए गए सामान के प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या–113 दिनांक 19.6.2017 को मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया। जिस पर मन्दिर

अधिकारी द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त सामान को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज करवा दिया गया है व सामान दर्ज करने की प्रविष्टियों की जाँच अंकेक्षण के दौरान ही कर ली गई है।

39 (क) बिजली बिलों को बिजली बिल रजिस्टर में दर्ज न करनाः–

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि माह 10/2016 के दौरान विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत बिजली बिलों के रूप में ₹322930 का भुगतान किया गया लेकिन उक्त भुगतान किए गए बिजली बिलों को बिल रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है। यद्यपि बिजली बिल रजिस्टर में माह 10/2016 के अतिरिक्त अन्य मासों के दौरान भुगतान किए गए बिजली बिलों को बिजली बिल रजिस्टर में दर्ज किया गया है। अतः माह 10/2016 के दौरान भुगतान किए गए बिजली बिलों को बिजली बिल रजिस्टर में दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में सभी बिजली बिलों को बिजली बिल रजिस्टर में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए। माह 10/2016 में भुगतान किए गए बिजली बिलों को बिजली बिल रजिस्टर में दर्ज न करने का विवरण निम्नानुसार है।

क्र0सं0	वा0सं0	दिनांक	मी0 सं0	राशि (₹)
1	1433/16	6.10.16	KK-11 SP	463
2	1512/16	15.10.16	CP-804-D	1140
			CP-930-8	2043
			CP-3-1752-C	22193
			CP-3-1968-C	24136
			YB-2-C	135
			CP-3-1467-C	10424
			CP-3-2561-C	115
			CP-3-2562-C	524
			BN-878-C	497
			YN-100/C	360
			CP-3-956/NDNC	43900
			YB-1/CS	41881
			योग	**147348**
3	1513/16		CP-979-SL	38075
			CP-1615-SL	2937
			CP-1616-SL	21539
			CP-1648-SL	8524
			CP-1649-SL	1689
			CP-1659-SL	3241
			CP-1660-SL	1489
			CP-2461-SL	863
			CP-2727-SL	7017

BN-673-SL	6990
BN/518-SL	14643
BN-911-SL	5807
RS-1-SL	7214
RS-28-SL	6319
RS-121-SL	6790
JB-1-SL	18971
YN-13-SL	3874
BP-25-SL	613
YB-7-SL	9019
MN-6-SL	9505
योग	**175119**
क्रम संख्या 1 से 3 तक का कुल योग	**322930**

(ख) बिजली बिलों का औसत आधार पर भुगतान करनाः–

बिजली बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 1/15 से 12/16 के दौरान बिजली के बिलों का औसत खपत के आधार पर भुगतान किया गया है।

क्र0सं0	**मी0सं0**	**पुरानी मी0 रीडिंग**	**भुगतान की तिथि/अवधि**	**औसत खपत यूनिट**	**भुगतान की गई राशि (₹)**
1	RS-28/SL	45200	19.6.15	300	2758
			20.7.15	350	3171
			24.8.15	400	3583
			22.9.15	500	4408
			20.10.15	500	4408
			18.12.15	500	4338
			20.1.16	500	4478
			18.2.16	500	4408
			24.3.16	600	5233
			19.4.16	600	5233
			22.7.16	600	5551
			22.8.16	600	5461
			20.10.16	600	5461
			22.11.16	700	6319
			20.12.16	700	6319
2	YB-7/52	28250	20.1.15 से 20.12.16 तक	100 यूनिट (प्रतिमाह)	8659
3	MN/6/SL	12690	18.3.15 से 01.12.16 तक	1000 यूनिट (प्रतिमाह)	9145

अतः उपरोक्त उल्लेखित बिजली के मीटरों की बिजली विभाग से जाँच करवाने हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

40 बिजली के सामान जारी करने के अनियमितताएँः–

(क) बिजली स्टॉक रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि माह 8/2015 के दौरान विभिन्न विद्युतकारों को बिजली का सामान जारी किया गया है। लेकिन बिजली स्टॉक रजिस्टर से जारी किए गए सामान को बिजली खपत रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया व न ही यह उल्लेखित किया गया कि उक्त सामान कहां स्थापित किया गया। फलस्वरूप उक्त सामान के दुरूपयोग की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता। बिजली खपत रजिस्टर में दर्ज न किए गए सामान का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	दिनांक	मुख्य बिजली स्टॉक रजिस्टर पृ0सं0	जारी किया गया सामान	मात्रा
1	5.8.15	87	स्विच 15 एम्पीयर	1 नम्बर
2	7.8.15	87	स्विच 15 एम्पीयर	1 नम्बर
3	13.8.15	117	रिले 63 एम्पीयर	3 नम्बर
4	14.8.15	141	कन्डैन्सर 3.5	5 नम्बर
5	17.8.15	161	टू पिन सॉकेट	1 नम्बर
6	17.8.15	161	मेल फीमेल स्विच	4 नम्बर

उक्त बिजली के सामान को बिजली खपत रजिस्टर में दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ख) बिजली स्टॉक रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि पृष्ठ संख्या 151 दिनांक 24.8.15 को लैम्प 15 वॉट की 6 मात्रा जारी की गई थी। जबकि विद्युतकारों द्वारा दिनांक 24.8.15 को दिए आवेदन पत्र व खपत रजिस्टर में लैम्प 15 वॉट की 2 मात्रा ही उल्लेखित/दर्ज है। फलस्वरूप बिजली स्टॉक रजिस्टर में लैम्प 15 वॉट की 2 मात्रा की जगह 6 मात्रा खपत दर्शाकर 4 नम्बर लैम्प 15 वॉट का दुरूपयोग किया गया। अतः बिजली स्टॉक रजिस्टर में जारी किए गए सामान की वास्तविक मात्रा से अधिक मात्रा को खपत/जारी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व जारी किए गए सामान की वास्तविक मात्रा से अधिक मात्रा दर्शाकर दुरूपयोग किए गए सामान की वसूली उचित स्त्रोत से की जाए।

41 शिकायत रजिस्टर व मुरम्मत एवं रख रखाव रजिस्टर तैयार करने के बगैर लाखों रूपये के बिजली के सामान को जारी करनाः–

बिजली स्टॉक रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 2015 व 2016 के दौरान बिजली स्टॉक रजिस्टर से लाखों रूपये का बिजली का सामान जारी किया गया है। लेकिन अवधि के दौरान न तो बिजली शिकायत रजिस्टर तैयार किया गया है व न ही मुरम्मत एवं रख रखाव रजिस्टर को तैयार किया गया है। बिजली शिकायत रजिस्टर के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में ही बिजली खराब थी व बिजली के मुरम्मत किए गए सामान को मुरम्मत एवं रख रखाव रजिस्टर में दर्ज न होने के कारण यह सत्यापित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में ही सामान बदला गया है। उक्त महत्वपूर्ण अभिलेख के अभाव में वर्ष 2015 व 2016 के दौरान लाखों रूपये के जारी किए गए बिजली के सामान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 114 दिनांक 20.6.2017 द्वारा मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः बिजली शिकायल रजिस्टर व मुरम्मत एवं रख रखाव रजिस्टर को तैयार करने के बिना बिजली स्टॉक रजिस्टर से वर्ष 2015 व 2016 के दौरान लाखों रूपये के जारी किए गए सामान का औचित्य स्पष्ट किया जाए व यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बिजली खराब होने पर ही बिजली सामान को जारी किया गया है। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

42 अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि माह 10/2016 के दौरान विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत भुगतान किया गया है लेकिन उक्त वाउचरों से सम्बन्धित अभिलेख आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

क्र0सं0	वा0सं0	माह	अभिलेख का विवरण
1	1357	10/2016	वाहन संख्या एच0पी0–20 सी–0001 का मुरम्मत रजिस्टर
2	1383	10/2016	श्री केवल कृष्ण संविदाकार द्वारा गऊशाला अम्ब में रखे गए 10 मजदूरों को किए गए भुगतान का अनुबन्ध एवं निविदाएं।
3	1437	10/2016	वाहनों में डलवाए गए तेल की जाँच करने हेतु लॉग बुक्स (i) वाहन संख्या एच0पी0–19 बी–2699
4	1445	10/2016	वाहन संख्या एच0पी0–19 बी–7233 में डाले गए तेल की जाँच हेतु वाहन की लॉग बुक

5	1470	10/2016	डस्टबिनों की निविदाएँ तथा भण्डार रजिस्टर
6	1654	10/2016	वाहन संख्या एच0पी0–19 ए–8525 का मुरम्मत रजिस्टर
7	1672	10/2016	क्रय किए गए कैलकुलेटर का स्टॉक रजिस्टर

उपरोक्त उल्लेखित महत्वपूर्ण अभिलेख को अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत न करने का प्रकरण अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या–119/2017 दिनांक 3.6.2017 द्वारा मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त अभिलेख के अभाव में उक्त वाउचरों के अन्तर्गत किए गए व्ययों की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना सम्भव न हो सकी। अतः वाँछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

43 होमगार्ड से APR प्राप्त न करनाः–

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि वाऊचर संख्या 1468 माह 10/2016 के द्वारा 200 गृह रक्षकों को यात्रा भत्ता एवं पारिश्रमिक भत्ता ₹1700882 का भुगतान किया गया परन्तु जिन होमगार्डस को यह भुगतान किया गया उनसे APR प्राप्त नहीं की गई व न ही अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत की गई APR के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि उक्त होमगार्डस द्वारा वास्तव में भुगतान प्राप्त कर लिया है। उकत अनियमितता का प्रकरण अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या 117 दिनांक 3.6.2017 को मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया व न ही उक्त अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया गया। अतः वाँछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

44 रसीद संख्या 340 को रद्द न करनाः–

रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि पृष्ठ संख्या 212 दिनांक 21.3.15 को रसीद बुक 340 को रद्द किया गया दर्शाया है। जबकि भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि रसीद बुक संख्या 340 को मन्दिर अधिकारी द्वारा रद्द नहीं किया गया व रसीद संख्या 340/1 के अलावा 340/2 से लेकर 340/100 तक सभी रसीदें सही पाई गई। उक्त रसीद बुक को रद्द न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या–146 दिनांक 17.6.2017 को मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतियुत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा स्पष्ट किया कि रसीद संख्या 340/01 से 340/100 तक सभी रसीदों को रद्द कर दिया है व रसीद को रद्द करने की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है।

45 रसीद बुकों का अधिक शेष दर्शानाः–

रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 212 दिनांक 22.6.2015 को रसीद संख्या 212 दिनांक 22.6.2015 को रसीद संख्या 353 लंगर हेतु श्री शिव कुमार को जारी की गई थी व रसीद बुक के अन्तिम शेष के रूप में 47 रसीद बुकों की जगह 49 रसीद बुकें का अन्तिम शेष दर्शाया गया। फलस्वरूप 2 रसीद बुकें अन्तिम शेष के रूप में अधिक दर्शाई गई। उक्त रसीद बुकों के अधिक शेष दर्शाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या–145 दिनांक 17.6.17 को मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया। जिस पर त्वरित कार्यवाही द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में अन्तिम शेष को दिनांक 12.5.2017 को संशोधन कर दिया गया है व रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में अन्तिम शेष में किए गए संशोधन से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया गया व जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान ही कर ली गई है।

46 बुकिंग रजिस्टर में यात्रियों का प्रस्थान की दिनांक व समय दर्ज न करनाः–

(क) बुकिंग रजिस्टर यात्री निवास भरवाई की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार अंकेक्षण हेतु चयनित माह 8/15 व 8/16 के दौरान विभिन्न यात्रियों कों कमरे किराये पर देने उपरान्त प्रस्थान दिनांक व समय बुकिंग रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। बुकिंग रजिस्टर में प्रस्थान दिनांक व समय दर्ज न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि उक्त यात्रियों द्वारा यात्री निवास भरवाई में कितने दिनों का ठहराव किया। अतः यात्री निवास भरवाई के बुकिंग रजिस्टर में यात्रियों के प्रस्थान की दिनांक व समय उल्लेखित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व यह सुनिश्चित किया जाए कि यात्रियों से जितनी राशि वसूली गई है क्या वास्तव में भी उतनी ही राशि वसूली जानी अपेक्षित थी? एवं किसी भी कम वसूली की अवस्था में सम्पूर्ण राशि की वसूली उत्तरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	बुकिंग रजिस्टर पृ0सं0	आगमन की तिथि व समय	यात्री का नाम व पता	कमरा सं0	रसीद सं0	राशि
1	32	6.8.15 व 6:30PM	श्री रामानन्द सिंह S/O श्री राम सेवक सिंह 441 सैक्टर–7 पंचकुला हरियाणा	217 व 310	352/66	225

2	32	7.8.15 व 4:30PM	श्री जतिन्द्र सिंह S/O श्री स्वर्ण सिंह गाँव चतेहड़ डा0 योल तहसील धर्मशाला जिला कांगड़ा (हि0प्र0)	106	352/67	150
3	153	28.7.16 व 9:20	रेपी S/O शरवाजा लाल गाँव चाँदपुर डा0 बताशा जालन्धर (पंजाब)	211	395/50	500
4	154	29.7.16 व 5:30PM	रिपी S/O शरवाजा डा0 बताशा जिला जालन्धर (पंजाब)	211	395/51	500
5	154	30.7.16 व 6:00PM	विवेक कुमार फरीदकोट पंजाब	210	395/54	200
6	160	17.8.16 व 5:20PM	राकेश शर्मा S/O श्री भगत राम शर्मा हि0प्र0लो0नि0 विभाग ठेकेदार भरवाई	213	395/77	200
7	163	24.8.16 व 6:30PM	अनिल कुमार गाँव गुण्डा छा तहसील शिलाई जिला सिरमौर (हि0प्र0)	209	395/89	200

(ख) बुकिंग रजिस्टर यात्री निवास भरवाई की जाँच करने पर पाया गया कि बुकिंग रजिस्टर पृष्ठ संख्या 31 दिनांक 4.8.2015 को क्रम संख्या 123 पर श्री शमशेर सिंह सुपुत्र श्री बलवीर सिंह, अमीचन्द बिल्डिंग टुटु चौंक, शिमला (हि0प्र0) की बुकिंग दर्ज की गई है। लेकिन उक्त यात्री ने दिनांक 4.8.2015 को कितने समय पर आगमन किया, कौन सा कमरा किराये पर लिया गया, व्यक्तियों की संख्या कितनी थी व प्रस्थान की दिनांक व समय बुकिंग रजिस्टर में दर्ज नहीं है केवल आगमन की तिथि 4.8.2015 व रसीद संख्या 352/62 उल्लेखित है। उक्त विवरण के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, कि उक्त यात्री का यात्री निवास भरवाई में कितने दिनों तक ठहराव रहा व उक्त यात्री से किराये के रूप में कितनी राशि वसूली जानी अपेक्षित थी। क्या वास्तव में उतनी ही राशि वसूली गई है या नही? यद्यपि यात्री से रसीद संख्या 352/62, दिनांक 4.8.15 को ₹150 एकत्र की गई है। अतः बुकिंग रजिस्टर में उक्त महत्वपूर्ण विवरण दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व यह

भी सुनिश्चित किया जाए कि उक्त यात्री से किराये के रूप में जितनी राशि वसूली जानी थी, वास्तव में उतनी ही राशि वसूली गई है।

47 अंकेक्षण दल को सूचनाएं प्रदान न करनाः–

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी में अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण दल द्वारा सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न दिनांकों को अंकेक्षण अधियाचनाएं जारी की गई। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचनाओं के अन्तर्गत मांगी गई सूचनाओं का विवरण प्रदान नहीं किया गया। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व वाँछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	अधियाचना संख्या	दिनांक	माँगी गई सूचनाओं का विवरण
1	79	1.5.2017	(i) वर्ष 2015 व 2016 में मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा क्रय किए गए फर्नीचर का विवरण
2	104	16.5.2017	(i) गृहरक्षक, भूतपूर्वक सैनिक व बाहरी स्त्रोतों से नियुक्त कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं व कितने पद भरें गए है का विवरण व सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति/अनुमोदन की छाया प्रतियाँ उपलब्ध करवाने बारे।
3	95	23.5.2017	वर्ष 2015 व 2016 के दौरान मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी में जन कल्याण हेतु शुरू की गई सुविधाओं का विवरण
4	112	19.6.2017	(i) वर्ष 2007 में आवासीय कलौनी हेतु भूमि क्रय की गई है या यह भूमि सरकारी भूमि है। (ii) वर्ष 2007 में आवासीय कलौनी हेतु भूमि क्रय करने पर कितनी राशि व्यय की गई।
5	152	27.6.2017	यात्री निवास भरवाई में कमरों को किराये पर देने से सम्बन्धित दरें/सूचनाएं प्रदान करने बारे

48 माननीय न्यायालयों में लम्बित मामलों बारेः–

मन्दिर प्रबन्धन समिति के विभिन्न मामले न्यायालयों में लम्बित पड़े है, जिन्हें **परिशिष्ट "vi"** पर दर्शाया गया है। अतः इन मामलों में निर्णय होने पर तदानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए।

49 विविध अनियमितताएंः—

(क) हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 की अनुपालना न करनाः— मन्दिर प्रबन्ध समिति चिन्तपूर्णी द्वारा विभिन्न मदें क्रय करते समय हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 की अनुपालना नहीं की जा रही है। इस प्रकार लेखों में निम्न अनियमितताएं पाई गई।

(i) निविदाओं के बिना क्रय करनाः— वित्तीय नियम 2009 के नियम 97 (1) में प्रावधान है कि बिना निविदाएं बुलाए 3000 तक की मदों का क्रय किया जा सकता है जिसकी वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम सीमा 50000 होगी, परन्तु जाँच में पाया गया कि मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा बिना निविदाएँ आमन्त्रित किए 3000 तक की मदो का क्रय तो किया जा रहा है, परन्तु अभिलेख के अभाव में यह ज्ञात न हो सका कि वित्तीय वर्ष के दौरान बिना निविदाएं बुलाए कुल कितना क्रय किया गया हैं। इसके अतिरिक्त नियम 97 (1) के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान नहीं किए जा रहे है। अतः वाँछित अभिलेख अब तैयार किया जाएं तथा भविष्य में भी इसकी अनुपालना करनी सुनिश्चित की जाए।

(ii) वित्तीय नियम 2009 के नियम 98 के अनुसार भी विभागाध्यक्ष द्वारा तीन सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति (Local Purchase Committee) का गठन करके क्रय किया जा सकता है, जिसके लिए समिति द्वारा नियमों के अन्तर्गत प्रदत्त प्रमाण पत्र दिया जाना होता है, परन्तु जाँच में पाया गया कि मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा उक्त नियमों के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है और न ही क्रय समिति से वाँछित प्रमाण पत्र लिए जा रहे है। अतः इस प्रकार के समस्त क्रय बारे नियमानुसार स्थिति स्पष्ट की जाए।

(iii) वित्तीय नियम 2009 के नियम 103 के अनुसार उन सप्लायरों को अधिमान दिया जाना चाहिए जिनके डिपो हिमाचल प्रदेश राज्य में है, परन्तु जाँच में पाया गया कि मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा जालन्धर, होशियारपुर, फगवाड़ा तथा लुधियाना इत्यादि शहरों से उन मदों का क्रय किया जा रहा है जोकि हिमाचल प्रदेश में भी उपलब्ध है। इससे एक ओर तो मन्दिर के अधिकारियों/कर्मचारियों को बार—बार बाहर जाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर मन्दिर के वाहनों का दुरूपयोग हो रहा है। इसके अतिरिक्त इस सन्दर्भ में सरकार के दिशा निर्देशों की अनुपालना भी नहीं हो पा रही है। अतः नियमानुसार उन्ही सप्लायरों को अधिमान दिया जाए, जिनके डिपो हिमाचल प्रदेश राज्य में है।

(iv) मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा सप्लायरों तथा विभिन्न फर्मों को सामान्यतः राशियों अग्रिम के रूप में प्रदान की गई है, परन्तु वित्तीय नियम 2009 के नियम 108 (4) के अनुसार सप्लायरों तथा फर्मों से बैंक गारन्टी प्राप्त नहीं की जा रही है ओर न ही उन्हें उक्त नियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अग्रिम प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त नियमों में मात्र 80**%** अग्रिम राशि दिए गए का ही प्रावधान है। अतः मन्दिर प्रबन्धन समिति के अधिकारियों को परामर्श दिया गया जाता है कि नियमानुसार जिन सप्लायरों अथवा फर्मों

को अग्रिम भुगतान किए जाते है, उनसे बैंक गारन्टी की जाए तथा नियमानुसार ही अग्रिम राशि जारी करना सुनिश्चित करें।

(ख) भण्डार रजिस्टर के रख रखाव बारेः– मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी की भण्डार पंजिकाओं की जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 1/2015 से 12/2016 के दौरान क्रय की गई अथवा चढावे के रूप में प्राप्त अनेक मदों का इन्द्राज अलग अलग नए पृष्ठों पर दर्ज किया जा रहा है, जिस कारण किसी मद की कुल शेष मात्रा को किसी अमुक दिवस पर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अतः यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आशय से लाया जाता है कि एक ही प्रकृति की मदों को स्टॉक रजिस्टर के एक ही पृष्ठ पर दर्शाकर तथा सक्षम अधिकारी से सत्यापन करवाकर, प्रत्येक मद की कुल मात्रा की गणना की जाए तथा शेष मात्रा को भण्डार रजिस्टर में दर्ज किया जाए।

(ग) मूर्ति रजिस्टर तैयार न करनाः– मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा मूर्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है, जोकि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान नियम 1984 के नियम 6 के प्रावधानों के विरूद्ध है। मूर्ति के अभिलेख का रख रखाव करना मन्दिर प्रबन्धन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर अभिलेख तैयार किए जाएं तथा इन अभिलेखों को सत्यापित करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाएं।

(घ) मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा प्रतिवर्ष लाखों रूपये का बिजली का सामान मेलों तथा विविध कार्यों के लिए क्रय किया जा रहा है, परन्तु क्रय किए गए सामान/उपकरणों से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रबन्धन समिति द्वारा एक बार भी बदली गई बिजली की मदों की नीलामी नहीं की गई है, जोकि अनियमित है। अतः क्रय किए गए बिजली के सामान का अभिलेख उचित प्रकार से तैयार किया जाए तथा बिजली के पुराने सामान की शीघ्र नीलामी की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जाए।

(ङ) स्टॉक का वार्षिक सत्यापन न करनाः–

मन्दिर प्रबन्धन समिति के भण्डार रजिस्टरों का प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण समाप्ति तक नहीं किया गया। अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार प्रत्येक वर्ष भण्डार की मदों का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तत्सम्बन्धी परिणाम से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

50 **आपत्ति विवरणीः—** इसे अलग से जारी नहीं किया गया क्योंकि समस्त लघु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर ही कर लिया गया।

51 **निष्कर्षः—** लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याःफिन (एल0ए0)(एच) (2)सी(15)(14)187/96खण्ड—14—7357—7360 दिनांक29.12.2017, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत 1 मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास माता चिन्तपूर्णी, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।

2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हि0प्र0 सरकार, शिमला—2

3 उपायुक्त ऊना एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास श्री चिन्तपूर्णी मन्दिर न्यास चिन्तपूर्णी तहसील चिन्तपूर्णी, जिला ऊना हि0प्र0

4 निदेशक, (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हि0प्र0 शिमला—171009

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881

परिशिष्ट "A"

पैरा 1 (घ) से सन्दर्भ में

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 12.6.87 से 31.12.1995

1	पैरा–3 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–5	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (3)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (5)	अनिर्णीत
6	पैरा–17	अंशतः निर्णीत
7	पैरा–19 (क)	अनिर्णीत
8	पैरा–20 (क) (1)	अनिर्णीत
9	पैरा–21	अनिर्णीत
10	पैरा–23	अनिर्णीत
11	पैरा–24	अनिर्णीत
12	पैरा–29 (क)	अनिर्णीत
13	पैरा–29 (ख)	अनिर्णीत
14	पैरा–30	अनिर्णीत
15	पैरा–31	अंशतः निर्णीत
16	पैरा–32	अंशतः निर्णीत
17	पैरा–33	अनिर्णीत
18	पैरा–34	अनिर्णीत
19	पैरा–35	अनिर्णीत
20	पैरा–38	अनिर्णीत
21	पैरा–41	अंशतः निर्णीत
22	पैरा–43	अनिर्णीत
23	पैरा–44	अनिर्णीत
24	पैरा–45	अनिर्णीत
25	पैरा–47	अनिर्णीत
26	पैरा–48	अनिर्णीत
27	पैरा–49	अनिर्णीत
28	पैरा–55	अनिर्णीत

29	पैरा–56	अनिर्णीत
30	पैरा–57	अनिर्णीत
31	पैरा–60	अनिर्णीत
32	पैरा–61 (क)	अनिर्णीत
33	पैरा–61 (ख)	अनिर्णीत
34	पैरा–61 (ग)	अनिर्णीत
35	पैरा–61 (घ)	अनिर्णीत
36	पैरा–61 (ड.)	अनिर्णीत
37	पैरा–61 (च)	अनिर्णीत
38	पैरा–61 (छ)	अनिर्णीत
39	पैरा–61 (ज)	अनिर्णीत
40	पैरा–61 (झ)	अनिर्णीत
41	पैरा–61 (ञ)	अनिर्णीत
42	पैरा–61 (ट)	अनिर्णीत
43	पैरा–65	अनिर्णीत
44	पैरा–66	अनिर्णीत
45	पैरा–67 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
46	पैरा–68	अनिर्णीत
47	पैरा–69	अंशतः निर्णीत
48	पैरा–70 (1)	अनिर्णीत
49	पैरा–70 (2)	अनिर्णीत
50	पैरा–70 (3)	अनिर्णीत
51	पैरा–70 (4)	अनिर्णीत
52	पैरा–70 (5)	अनिर्णीत
53	पैरा–70 (10)	अनिर्णीत
54	पैरा–70 (11)	अनिर्णीत
55	पैरा–70 (12)	अनिर्णीत
56	पैरा–71 (क) (2)	अनिर्णीत
57	पैरा–71 (क) (6)	अनिर्णीत
58	पैरा–71 (ख) (4)	अनिर्णीत
59	पैरा–73	अनिर्णीत

60	पैरा–75 (ख)	अनिर्णीत	
61	पैरा–75 (ख) (4)	अनिर्णीत	
62	पैरा–76 (3)	अनिर्णीत	
63	पैरा–76 (4)	अंशतः निर्णीत।	(बिजली तथा पानी की वसूली नियमानुसार अपेक्षित है)
64	पैरा–77	अनिर्णीत	
65	पैरा–78	अनिर्णीत	
66	पैरा–79 (2)	अनिर्णीत	
67	पैरा–79 (3)	अनिर्णीत	
68	पैरा–79 (4)	अनिर्णीत	
69	पैरा–80 (2)	अनिर्णीत	
70	पैरा–82 (1)	अनिर्णीत	
71	पैरा–82 (3)	अनिर्णीत	
72	पैरा–82 (5)	अनिर्णीत	
73	पैरा–82 (6)	अनिर्णीत	
74	पैरा–83	अनिर्णीत	
75	पैरा–85 (1)	अनिर्णीत	
76	पैरा–85 (2)	अनिर्णीत	
77	पैरा–85 (3)	अंशतः निर्णीत	
78	पैरा–88 (1)	अनिर्णीत	
79	पैरा–88 (2)	अनिर्णीत	
80	पैरा–89	अनिर्णीत	
81	पैरा–90	अनिर्णीत	
82	पैरा–92	अनिर्णीत	
83	पैरा–93	अनिर्णीत	
84	पैरा–95	अनिर्णीत	
85	पैरा–96	अनिर्णीत	
86	पैरा–97	अनिर्णीत	
87	पैरा–99 (क)	अनिर्णीत	
88	पैरा–99 (ग)	अनिर्णीत	
89	पैरा–99 (घ)	अनिर्णीत	

90	पैरा—99 (च)	अनिर्णीत
91	पैरा—99 (छ) (2)	अनिर्णीत
92	पैरा—99 (ज)	अनिर्णीत
93	पैरा—99 (झ)	अनिर्णीत
94	पैरा—99 (ञ) (1)	अनिर्णीत
95	पैरा—99 (ठ) (1)	अनिर्णीत
96	पैरा—99 (ठ) (2)	अनिर्णीत
97	पैरा—128 (क)	अनिर्णीत
98	पैरा—128 (ग)	अनिर्णीत
99	पैरा—129	अनिर्णीत
100	पैरा—131	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.1999 से 31.12.1999

1	पैरा—12	अनिर्णीत
2	पैरा—15	अनिर्णीत
3	पैरा—18	अनिर्णीत
4	पैरा—20	अनिर्णीत
5	पैरा—22 (1)	अनिर्णीत
6	पैरा—22 (2)	अनिर्णीत
7	पैरा—23	अनिर्णीत
8	पैरा—24	अनिर्णीत
9	पैरा—26	अनिर्णीत
10	पैरा—27 (ख)	अंशतः निर्णीत
11	पैरा—28	अंशतः निर्णीत
12	पैरा—33 (क)	अनिर्णीत
13	पैरा—34 (1)	अनिर्णीत
14	पैरा—34 (2)	अनिर्णीत
15	पैरा—35	अनिर्णीत
16	पैरा—36	अनिर्णीत
17	पैरा—37 (ख व ग)	अनिर्णीत
18	पैरा—38	अनिर्णीत

19	पैरा—39	अनिर्णीत
20	पैरा—40	अनिर्णीत
21	पैरा—42	अनिर्णीत
22	पैरा—43	अनिर्णीत
23	पैरा—44	अनिर्णीत
24	पैरा—46 (ख)	अनिर्णीत
25	पैरा—47	अनिर्णीत
26	पैरा—48	अनिर्णीत
27	पैरा—51	अनिर्णीत
28	पैरा—52	अनिर्णीत
29	पैरा—54	अनिर्णीत
30	पैरा—55 (ख)	अनिर्णीत
31	पैरा—55 (ग)	अनिर्णीत
32	पैरा—56 (ख)	अनिर्णीत
33	पैरा—56 (ग)	अनिर्णीत
34	पैरा—61 (ग)	अनिर्णीत
35	पैरा—65 (क)	अनिर्णीत
36	पैरा—65 (ख)	अनिर्णीत
37	पैरा—65 (ग)	अनिर्णीत
38	पैरा—65 (घ)	अनिर्णीत
39	पैरा—65 (ड.)	अनिर्णीत
40	पैरा—65 (च)	अनिर्णीत
41	पैरा—65 (छ)	अनिर्णीत
42	पैरा—65 (ज)	अनिर्णीत
43	पैरा—65 (झ)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2000 से 31.12.2000

1	पैरा—6	अनिर्णीत
2	पैरा—8	अनिर्णीत
3	पैरा—10	अनिर्णीत
4	पैरा—12	अनिर्णीत

5	पैरा–14 (क)	अनिर्णीत
6	पैरा–17	अनिर्णीत
7	पैरा–18	अनिर्णीत
8	पैरा–21 (ख)	अनिर्णीत
9	पैरा–24 (ख)	अनिर्णीत
10	पैरा–27	अनिर्णीत
11	पैरा–32	अनिर्णीत
12	पैरा–33	अनिर्णीत
13	पैरा–34	अनिर्णीत
14	पैरा–35	अनिर्णीत
15	पैरा–36	अनिर्णीत
16	पैरा–38	अनिर्णीत
17	पैरा–39	अनिर्णीत
18	पैरा–40	अनिर्णीत
19	पैरा–43	अनिर्णीत
20	पैरा–44	अनिर्णीत
21	पैरा–45	अनिर्णीत
22	पैरा–46 (क)	अनिर्णीत
23	पैरा–46 (ख)	अनिर्णीत
24	पैरा–48 (ख)	अनिर्णीत
25	पैरा–57 (क)	अनिर्णीत
26	पैरा–60	अनिर्णीत
27	पैरा–61 (ख)	अनिर्णीत
28	पैरा–62	अनिर्णीत
29	पैरा–66 (क)	अनिर्णीत
30	पैरा–69 (क)	अनिर्णीत
31	पैरा–69 (ख)	अनिर्णीत
32	पैरा–69 (ग)	अनिर्णीत
33	पैरा–69 (घ)	अनिर्णीत
34	पैरा–69 (ड.)	अनिर्णीत
35	पैरा–69 (च)	अनिर्णीत

36	पैरा–69 (छ)	अनिर्णीत
37	पैरा–69 (ज)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2001 से 12/2002

1	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (ग)	अनिर्णीत
4	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत
5	पैरा–7 (1) (2)	अनिर्णीत
6	पैरा–8 (1)	अनिर्णीत
7	पैरा–8 (2)	अनिर्णीत
8	पैरा–8 (3)	अनिर्णीत
9	पैरा–15	अनिर्णीत
10	पैरा–19	अनिर्णीत
11	पैरा–20	अनिर्णीत
12	पैरा–21	अनिर्णीत
13	पैरा–22	अनिर्णीत
14	पैरा–25 (क)	अनिर्णीत
15	पैरा–25 (ग)	अनिर्णीत
16	पैरा–26 (क)	अनिर्णीत
17	पैरा–26 (ख)	अनिर्णीत
18	पैरा–26 (ग)	अनिर्णीत
19	पैरा–28	अनिर्णीत
20	पैरा–29 (क)	अनिर्णीत
21	पैरा–29 (ख)	अनिर्णीत
22	पैरा–31	अनिर्णीत
23	पैरा–32 (क)	अनिर्णीत
24	पैरा–32 (ख)	अनिर्णीत
25	पैरा–34	अनिर्णीत
26	पैरा–35 (ख)	अनिर्णीत
27	पैरा–36	अनिर्णीत
28	पैरा–39	अनिर्णीत

29	पैरा–41	अनिर्णीत
30	पैरा–43	अनिर्णीत
31	पैरा–46	अनिर्णीत
32	पैरा–48	अनिर्णीत
33	पैरा–49	अनिर्णीत
34	पैरा–50 (क)	अनिर्णीत
35	पैरा–50 (ख)	अनिर्णीत
36	पैरा–51	अनिर्णीत
37	पैरा–53	अनिर्णीत
38	पैरा–55 (क)	अनिर्णीत
39	पैरा–55 (ख)	अनिर्णीत
40	पैरा–55 (ग)	अनिर्णीत
41	पैरा–56	अनिर्णीत
42	पैरा–57	अनिर्णीत
43	पैरा–60	अनिर्णीत
44	पैरा–61 (क)	अनिर्णीत
45	पैरा–61 (ख)	अनिर्णीत
46	पैरा–61 (ग)	अनिर्णीत
47	पैरा–63	अनिर्णीत
48	पैरा–65	अनिर्णीत
49	पैरा–66	अनिर्णीत
50	पैरा–67	अनिर्णीत
51	पैरा–68 (क से घ)	अनिर्णीत
52	पैरा–70	अनिर्णीत
53	पैरा–74	अनिर्णीत
54	पैरा–76	अनिर्णीत
55	पैरा–77	अनिर्णीत
56	पैरा–81	अनिर्णीत
57	पैरा–82	अनिर्णीत
58	पैरा–83	अनिर्णीत
59	पैरा–99 (1)	अनिर्णीत

60	पैरा–99 (2)	अनिर्णीत
61	पैरा–100	अनिर्णीत
62	पैरा–101	अनिर्णीत
63	पैरा–102	अनिर्णीत
64	पैरा–103 (1)	अनिर्णीत
65	पैरा–103 (2)	अनिर्णीत
66	पैरा–104	अनिर्णीत
67	पैरा–105	अनिर्णीत
68	पैरा–106	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2003 से 31.12.2004

1	पैरा–14	अनिर्णीत
2	पैरा–15	अनिर्णीत
3	पैरा–24 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा–24 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा–24 (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा–27 (ख)	अनिर्णीत
7	पैरा–27 (ग)	अनिर्णीत
8	पैरा–29 (क,ख,ग)	अनिर्णीत
9	पैरा–31	अनिर्णीत
10	पैरा–32	अनिर्णीत
11	पैरा–33	अनिर्णीत
12	पैरा–34	अनिर्णीत
13	पैरा–40 (क,ख,ग)	अनिर्णीत
14	पैरा–42	अनिर्णीत
15	पैरा–43	अनिर्णीत
16	पैरा–45 (क,ख,ग)	अनिर्णीत
17	पैरा–47	अनिर्णीत
18	पैरा–48 (ग)	अनिर्णीत
19	पैरा–50 (ख)	अनिर्णीत
20	पैरा–50 (ग)	अनिर्णीत

21	पैरा–51 (क,ख,ग)	अनिर्णीत
22	पैरा–53 (क,ख,ग)	अनिर्णीत
23	पैरा–57	अनिर्णीत
24	पैरा–61	अनिर्णीत
25	पैरा–64	अनिर्णीत
26	पैरा–66 (क)	अनिर्णीत
27	पैरा–66 (ख)	अनिर्णीत
28	पैरा–67 (क)	अनिर्णीत
29	पैरा–67 (ख)	अनिर्णीत
30	पैरा–68 (क,ख,ग)	अनिर्णीत
31	पैरा–69 (क,ख,ग)	अनिर्णीत
32	पैरा–70 (क) (ख)	अनिर्णीत
33	पैरा–72 (क) (ख)	अनिर्णीत
34	पैरा–73 (क) (ख)	अनिर्णीत
35	पैरा–74 (क) (ख)	अनिर्णीत
36	पैरा–75 (ख)	अनिर्णीत
37	पैरा–75 (ग)	अनिर्णीत
38	पैरा–75 (घ)	अनिर्णीत
39	पैरा–75 (ड.)	अनिर्णीत
40	पैरा–80 (क) (ख)	अनिर्णीत
41	पैरा–81 (1)	अनिर्णीत
42	पैरा–81 (4)	अनिर्णीत
43	पैरा–81 (5)	अनिर्णीत
44	पैरा–81 (6)	अनिर्णीत
45	पैरा–81 (7)	अनिर्णीत
46	पैरा–81 (8)	अनिर्णीत
47	पैरा–81 (9)	अनिर्णीत
48	पैरा–81 (10)	अनिर्णीत
49	पैरा–81 (11)	अनिर्णीत
50	पैरा–81 (12)	अनिर्णीत
51	पैरा–81 (13)	अनिर्णीत

52	पैरा–81 (14)	अनिर्णीत
53	पैरा–81 (15)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2005 से 31.12.2005

1	पैरा–7 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा–7 (घ)	अनिर्णीत
3	पैरा–10	अनिर्णीत
4	पैरा–18	अनिर्णीत
5	पैरा–21	अनिर्णीत
6	पैरा–22	अनिर्णीत
7	पैरा–24 (क) (1)	अनिर्णीत
8	पैरा–24 (क) (2)	अनिर्णीत
9	पैरा–24 (ग)	अनिर्णीत
10	पैरा–25	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2006 से 31.12.2006

1	पैरा–3 (1) (च) 2 (घ)	अनिर्णीत	
2	पैरा–6	अनिर्णीत	
3	पैरा–7	अनिर्णीत	
4	पैरा–8 (1)	अंशतः निर्णीत	(क्रम संख्या 1 के अतिरिक्त समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों की पुष्टि कर ली गई है।)
5	पैरा–8 (2)	अनिर्णीत	
6	पैरा–8 (3)	अनिर्णीत	
7	पैरा–10 (1)	अनिर्णीत	
8	पैरा–10 (2)	अनिर्णीत	
9	पैरा–10 (3)	अनिर्णीत	
10	पैरा–12 (1)	अनिर्णीत	
11	पैरा–12 (2)	अनिर्णीत	
12	पैरा–15 (2)	अनिर्णीत	
13	पैरा–16 (1)	अनिर्णीत	

14	पैरा–16 (2)	अनिर्णीत
15	पैरा–17 (3)	अनिर्णीत
16	पैरा–17 (4) (1)	अनिर्णीत
17	पैरा–17 (5)	अनिर्णीत
18	पैरा–17 (6)	अनिर्णीत
19	पैरा–18	अनिर्णीत
20	पैरा–19	अनिर्णीत
21	पैरा–20	अनिर्णीत
22	पैरा–21	अनिर्णीत
23	पैरा–23	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2007 से 31.12.2008

1	पैरा–5	अंशतः निर्णीत	(पृष्ठांकन संख्या फिन (एल0ए0) एच (2) सी (15)(14)187/86 खण्ड–IX – दिनांक 21.7.2010 द्वारा क्र0सं0 2 तथा 6 के सन्दर्भ में समायोजन/वसूली वांछित है)
2	पैरा–6	अनिर्णीत	
3	पैरा–7 (क) (1)	अनिर्णीत	
4	पैरा–7 (क) (2)	अनिर्णीत	
5	पैरा–7 (क) (3)	अनिर्णीत	
6	पैरा–7 (क) (4)	अनिर्णीत	
7	पैरा–7 (क) (5)	अनिर्णीत	
8	पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत	
9	पैरा–8	अनिर्णीत	
10	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत	
11	पैरा–9 (ग)	अनिर्णीत	
12	पैरा–9 (घ)	अनिर्णीत	
13	पैरा–9 (ड.)	अनिर्णीत	
14	पैरा–9 (च)	अनिर्णीत	
15	पैरा–9 (छ)	अनिर्णीत	
16	पैरा–9 (ज)	अनिर्णीत	

17	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत
18	पैरा–10 (ख)	अनिर्णीत
19	पैरा–10 (घ)	अनिर्णीत
20	पैरा–11	अनिर्णीत
21	पैरा–13	अनिर्णीत
22	पैरा–14	अनिर्णीत
23	पैरा–15	अनिर्णीत
24	पैरा–16 (क)	अनिर्णीत
25	पैरा–16 (ख)	अनिर्णीत
26	पैरा–17	अनिर्णीत
27	पैरा–18 (1)	अनिर्णीत
28	पैरा–18 (2)	अनिर्णीत
29	पैरा–18 (3)	अनिर्णीत
30	पैरा–18 (4)	अनिर्णीत
31	पैरा–18 (5)	अनिर्णीत
32	पैरा–18 (6)	अनिर्णीत
33	पैरा–18 (7)	अनिर्णीत
34	पैरा–19	अनिर्णीत
35	पैरा–20	अनिर्णीत
36	पैरा–21	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2009 से 31.12.2009

1	पैरा–6 (i, ii, iii, iv)	अनिर्णीत
2	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत
	पैरा–8 (ख) (i, ii, iii, iv)	अनिर्णीत
3	पैरा–9	अनिर्णीत
4	पैरा–10 (क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत
5	पैरा–11	अनिर्णीत
6	पैरा–12	अनिर्णीत

7	पैरा–13	अनिर्णीत	
8	पैरा–14 (ग, घ, ङ, च, छ)	अनिर्णीत	
9	पैरा–15(i, ii, iii)	अनिर्णीत	
10	पैरा–16 (i, ii, iii)	अनिर्णीत	
11	पैरा–17 (i, ii)	अनिर्णीत	
12	पैरा–20 (i, ii)	अनिर्णीत	
13	पैरा–25	अनिर्णीत	
14	पैरा–26 (क)	अनिर्णीत	
15	पैरा–27	अनिर्णीत	
16	पैरा–28 (क)(ii)	अनिर्णीत	
17	पैरा–28 (ख)	निर्णीत	(रसीद संख्या 429 / 88 दिनांक 16.6.2017 के द्वारा ₹1790 की वसूली कर ली गई है)
18	पैरा–28 (ग) (i)	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर के अनुसार)
19	पैरा–28 (ग) (ii)	निर्णीत	(46 किलोग्राम रेलिंग की प्रविष्टि एम से एस रजिस्टर पृष्ठ 29 पर कर दी गई है)
20	पैरा–29	अनिर्णीत	
21	पैरा–32	अनिर्णीत	
22	पैरा–33 (क,ख)	अनिर्णीत	
23	पैरा–34 (4, 5)	अनिर्णीत	
24	पैरा–35 (क, ख)	अनिर्णीत	
25	पैरा–38	अनिर्णीत	
26	पैरा–41	अनिर्णीत	
27	पैरा–43	अनिर्णीत	
28	पैरा–45	अनिर्णीत	

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2010 से 31.12.2012

1	पैरा–5 (क, ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा–7 (घ)	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1–548 / 2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 26.5.2017 के द्वारा)

4	पैरा–8	निर्णीत	
5	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत	
6	पैरा–9 (ग)	अनिर्णीत	
7	पैरा–9 (ङ)	अनिर्णीत	
8	पैरा–9 (च)	अनिर्णीत	
9	पैरा–10 (i, ii, iii, iv)	अनिर्णीत	
10	पैरा–12 (ख)	अंशतः निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन(एल0ए0)खण्ड–1 दिनांक 9. 11.2015 के द्वारा तथा ₹28442 (₹98493–70051) की वसूली लम्बित है)
11	पैरा–12 (ग) (i, ii)	अनिर्णीत	
12	पैरा–12 (घ)	अनिर्णीत	
13	पैरा–13 (क, ख, ग, घ, ङ, च)	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 26.5.2017 के द्वारा)
14	पैरा–14	अंशतः निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन(एल0ए0)खण्ड–1 दिनांक 9. 11.2015 के द्वारा निम्नानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना वाँछित है)

दिनांक	**विभाग का नाम**	**विवरण**	**राशि**
5.10.10	AEEHPSEB Bharwain	Reised estimate for provision 30 No. street light points in vill.moin from existing 1000 Kva 11/4 KV/Stn Rehi-II under ESD Bharwain	292940
29.5.12	SDO HPSEB Dharwain	Estimate replacement under ground cable with over head cable and steel tubuler for 8 mtrs long for street light in Chintpurni bazaar under E & D Bharwain	558670
		Total	**851610**

15	पैरा–15	अनिर्णीत	
16	पैरा–17	अनिर्णीत	
17	पैरा–19 (क,ख,ग,घ)	अनिर्णीत	
18	पैरा–20	अनिर्णीत	
19	पैरा–21 (क,ख,ग,घ)	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 26.5.2017 के द्वारा)
20	पैरा–22	अनिर्णीत	
21	पैरा–23 (क)	निर्णीत	(रसीद संख्या 429/87 दिनांक 16.6.2017 के द्वारा ₹2649 की वसूली कर ली गई है)
22	पैरा–23 (ख)	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 26.5.2017 के द्वारा)
23	पैरा–25	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 26.5.2017 के द्वारा)
24	पैरा–27 (क,ख,ग,घ,ङ,च,छ)	अनिर्णीत	
25	पैरा–31	अनिर्णीत	
26	पैरा–32	अनिर्णीत	
27	पैरा–34	अनिर्णीत	
28	पैरा–35 (क)	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 26.5.2017 के द्वारा)
29	पैरा–35 (ख, ग)	अनिर्णीत	
30	पैरा–38	अनिर्णीत	
31	पैरा–39	अनिर्णीत	
32	पैरा–40	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 26.5.2017 के द्वारा)

33	पैरा–41 (क, ख)	अनिर्णीत	
34	पैरा–41 (घ) (i, ii, iii)	अनिर्णीत	
35	पैरा–41 (ङ) (i, ii, iii)	अनिर्णीत	
36	पैरा–41 (च,छ,ज,झ,ञ)	अनिर्णीत	
37	पैरा–42	अनिर्णीत	
38	पैरा–43	अनिर्णीत	
39	पैरा–45 (क)	अनिर्णीत	
40	पैरा–45 (ख,ग)	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 26.5.2017 के द्वारा)
41	पैरा–45 (घ)	अनिर्णीत	
42	पैरा–45 (ङ)	अनिर्णीत	
43	पैरा–45 (च)	अनिर्णीत	

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014

1	पैरा–3	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 26.5.2017 के द्वारा)
2	पैरा–4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण अवधि 1/2015 से 12/2016 के पैरा संख्या 4 में दर्शाई गई है)
3	पैरा–5	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण अवधि 1/2015 से 12/2016 के पैरा संख्या 5 में दर्शाई गई है)
4	पैरा–6	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण अवधि 1/2015 से 12/2016 के पैरा संख्या 6 में दर्शाई गई है)
5	पैरा–7	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 26.5.2017 के द्वारा)

6	पैरा–8	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1–548 / 2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 26.5.2017 के द्वारा)
7	पैरा–9 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण अवधि 1 / 2015 से 12 / 2016 के पैरा संख्या 7 (क) में दर्शाई गई है)
8	पैरा–9 (ख)	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1–548 / 2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 26.5.2017 के द्वारा)
9	पैरा–9 (ग)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण अवधि 1 / 2015 से 12 / 2016 के पैरा संख्या 7 (ग) में दर्शाई गई है)
10	पैरा–9 (घ)	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1–548 / 2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 26.5.2017 के द्वारा)
11	पैरा–9 (ङ)	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1–548 / 2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 26.5.2017 के द्वारा)
12	पैरा–10	अनिर्णीत	
13	पैरा–11 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण अवधि 1 / 2015 से 12 / 2016 के पैरा संख्या 16 (क) में दर्शाई गई है)
14	पैरा–11 (ख)	निर्णीत	(अर्जित अवकाश नगदीकरण भुगतान 8 दिन के लिए अधिक किया गया जिसकी वसूली रसीद संख्या 401 / 65 दिनांक 29.3.2016 द्वारा ₹7134 कर ली गई है)
15	पैरा–11 (ग)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण अवधि 1 / 2015 से 12 / 2016 के पैरा संख्या 16(ख) में दर्शाई गई है)

16	पैरा–11 (घ)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण अवधि 1/2015 से 12/2016 के पैरा संख्या 16 (ग) में दर्शाई गई है)
17	पैरा–11 (ङ)	निर्णीत	(रसीद संख्या 391/76 दिनांक 17.6.2016 के द्वारा ₹1078 की वसूली कर ली गई है)
18	पैरा–11 (च)	अनिर्णीत	
19	पैरा–11 (छ)	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 26.5.2017 के द्वारा)
20	पैरा–12 (क)	अनिर्णीत	
21	पैरा–12 (ख)	अनिर्णीत	
22	पैरा–12 (ग)	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 26.5.2017 के द्वारा)
23	पैरा–12 (घ)	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 26.5.2017 के द्वारा)
24	पैरा–13	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 26.5.2017 के द्वारा)
25	पैरा–14	अनिर्णीत	
26	पैरा–15 (क)	अनिर्णीत	
27	पैरा–15 (ख)	अनिर्णीत	
28	पैरा–16	अनिर्णीत	
29	पैरा–17	अनिर्णीत	
30	पैरा–18	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 26.5.2017 के द्वारा)

31	पैरा—19 (क)	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1—548 / 2011—फिन (एल0ए0) खण्ड—1 दिनांक 26.5.2017 के द्वारा)
32	पैरा—19 (ख)	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1—548 / 2011—फिन (एल0ए0) खण्ड—1 दिनांक 26.5.2017 के द्वारा)
33	पैरा—20	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1—548 / 2011—फिन (एल0ए0) खण्ड—1 दिनांक 26.5.2017 के द्वारा)
34	पैरा—21	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1—548 / 2011—फिन (एल0ए0) खण्ड—1 दिनांक 26.5.2017 के द्वारा)
35	पैरा—22	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1—548 / 2011—फिन (एल0ए0) खण्ड—1 दिनांक 26.5.2017 के द्वारा)
36	पैरा—23	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1—548 / 2011—फिन (एल0ए0) खण्ड—1 दिनांक 26.5.2017 के द्वारा)
37	पैरा—24	अनिर्णीत	
38	पैरा—25	निर्णीत	(प्रावधानों द्वारा प्रस्तुत किये गये उपयोगिता प्रमाण पत्रों की पुष्टि करने के उपरान्त)
39	पैरा—26	अनिर्णीत	
40	पैरा—27	अनिर्णीत	
41	पैरा—28	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1—548 / 2011—फिन (एल0ए0) खण्ड—1 दिनांक 26.5.2017 के द्वारा)
42	पैरा—29	अनिर्णीत	
43	पैरा—30	अनिर्णीत	
44	पैरा—31	अनिर्णीत	
45	पैरा—32	अनिर्णीत	

46	पैरा–33 (क)	अनिर्णीत	
47	पैरा–33 (ख) (i, ii)	अनिर्णीत	
48	पैरा–33 (ग)	निर्णीत	(₹669 की वसूली निम्नानुसार की गई)

रसीद संख्या	दिनांक	राशि
391/74	17.6.2016	557
391/75	17.6.2016	112
	योग	**669**

49	पैरा–33 (घ)	अनिर्णीत	
50	पैरा–33 (ङ)	निर्णीत	(रसीद संख्या 391/77 दिनांक 17.6.2016 के द्वारा ₹1225 की वसूली कर ली गई है)
51	पैरा–34	अनिर्णीत	
52	पैरा–35 (क)	अनिर्णीत	
53	पैरा–35 (ख)	अनिर्णीत	
54	पैरा–35 (ग)	अनिर्णीत	
55	पैरा–36	निर्णीत	(संयुक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 26.5.2017 के द्वारा)
56	पैरा–37	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण अवधि 1/2015 से 12/2016 के पैरा संख्या 48 में दर्शाई गई है)
57	पैरा–38 (क,ख,ग,घ,ङ)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण अवधि 1/2015 से 12/2016 के पैरा संख्या 49 में दर्शाई गई है)